अध्याय : सप्तम

20वीं सदी में मेवाड़ का शासन प्रबन्धन

(मेवाड़–ब्रिटिश सम्बन्ध)

मेवाड़ शासन प्रबन्धन के सूत्रधार –

7.0 मामा अमान सिंह का योगदान –

मामा अमान सिंह मेवाड़ के तीन महाराणाओं क्रमशः महाराणा सज्जनसिंह, महाराणा फतहसिंह एवं महाराणा भूपाल सिंह के प्रारम्भिक जीवन काल तक मेवाड़ के सैन्य एवं प्रशासनिक सेवाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ उनके समय की घटनाओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

7.1 रावली दुकान (राजकीय बैंकिंग व्यवस्था) का मामला –

महाराणा सज्जनसिंह जी के गद्दी पर बिराजने से पहले से ही राज का सारे खरचे का पैसा रावली दुकान से आता था और राज का जो रेवेन्यू वसूल होता था वो भी रावली दुकान में जमा होता था। अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख़्वाह दो महीने पर मिलती थी। ये स्थिति महाराणा साहब को अखरने लगी। मामाजी से इस बारे में सलाह की तो मामाजी ने सुझाव दिया कि कोई गोठ असाधारण तौर से करने का आदेश फरमा दिया जाए। महाराणा ने कुछ ही दिनों में किसी खुशी में गोठ का आयोजन करने का ऐलान करवा दिया। इस पर रावली दुकान से एतराज हुआ कि यह बजट में नहीं है। इस पर आदेश हुआ कि महाराणा साहब के हुक्म की तामील हो, बजट की बात बाद में देखेंगे। लिहाजा गोठ का आयोजन हुआ। गोठ के बाद हुक्म हुआ कि यह व्यवस्था कब से चल रही

है इसका हिसाब पेश किया जाए। रावली दुकान वालों ने जवाब दिया कि ये व्यवस्था बहुत पुरानी है और इसका रिकॉर्ड कई गाड़ियों में आयेगा। महाराणा साहब ने आदेश फरमाया कि सब रिकॉर्ड को महलों में पेश किया जाए और मामाजी अमानसिंह जी, कविराजा श्यामलदास जी एवं अन्य एक सरदारी, तीन जनों की कमेटी बनाई और हुक्म दिया कि रावली दुकान के हिसाब की जाँच करके रिपोर्ट पेश करें। जाँच में पाया गया कि जो रकम रावली दुकान से रियासत के खर्चे के लिये दी जाती थी उस पर ब्याज लगाया जाता था और जो रकम रियासत के रेवेन्यू की रावली दुकान में जमा होती थी उस पर कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाता था। पूरे हिसाब की जाँच करने पर ये मालूम हुआ कि रियासत की बहुत बड़ी रकम रावली दुकान से निकलती है जो किसी तरह भी वसूल नहीं हो सकती है। इस सूरत में रावली दूकान को जब्त कर लिया गया और सम्बन्धित मेहता साहब की जागीर जब्त कर ली गई और उनकी हवेली को हाथियों से तुड़वाया गया और उस परिवार को रियासत से निकाल दिया गया और हवेली की जगह पर एक शिलालेख लगाकर उस पर लिखाया गया कि यह मेहता परिवार हरामखोर है। इस परिवार के किसी भी सदस्य को रियासत में नौकरी नहीं दी जाएगी। मेरे वंश में कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसको चित्तौड़ मारने तथा गऊवध करने का पाप लगेगा।

7.2 मेवाड़ रियासत की मुद्रा नीति का विवाद –

मेवाड़ रियासत की अपनी ही टकसाल थी जिसमें रियासत के सिक्के तैयार होते थे। महाराणा सज्जनसिंह जी ने मामाजी अमानसिंह जी को जब वे सेक्रेट्री थे तो आदेश दिया कि महाराणा सरूपसिंह जी की यादगार में एक नया सिक्का जारी किया जाए जिसका नाम सरूपसाही

रूपया हो इसकी कीमत 16 आने के बजाय 17 आने रखी जाए और उसमें लेख उर्दू की बजाय नागरीलिपि में हो। उसके एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ हो। मामाजी ने महाराणा साहब के आदेशानुसार नये सिक्के का डिजाइन बनवाकर महाराणा साहब को नजर किया और महाराणा साहब की मंजूरी के बाद डाई बनवाकर नमूने के कुछ सिक्के तैयार करवा के महाराणा साहब को नजर किये और महाराणा साहब ने उन सिक्कों को प्रचलन के लिये तैयार करवाना शुरू कर दिया। ये सिक्के जब जारी हुए तो मेवाड़ के अंग्रेज रेजिडेन्ट ने इस पर अंकित ''दोस्ती लंदन'' पर एतराज किया। इस पर मामाजी ने रेजिडेन्ट को मेवाड़ की सन् 1818 की संधि का हवाला देते हुए दोस्ती लंदन को उचित बताया जिस पर रेजिडेन्ट सहमत नहीं हुआ। इस पर मामला ए.जी.जी. के पास गया, लेकिन उसने भी रेजिडेन्ट की राय के साथ अपनी सहमति जताई परन्तु मामाजी उसकी राय से सहमत नहीं हुए और मामला दिल्ली वायसराय के पास गया। वायसराय ने भी रेजिडेन्ट और ए.जी.जी. की राय का अनुमोदन ही किया और लिखा कि ''दोस्ती लंदन'' के लेख पर गवर्नमेन्ट को आपत्ति है, इसीलिये सिक्के का प्रचलन बंद कर दिया जाए। मामाजी वायसराय की राय से सहमत नहीं हुए उन्होंने इंग्लैण्ड की प्रिविकौंसिल में अपील कर दी। प्रिवीकौंसिल ने मामाजी की दलीलों को मानते हुए दोस्ती लंदन को उचित मान लिया और सिक्कों को जारी रखने के आदेश दे दिये। मामाजी उचित बात के लिये संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपने चरित्रबल, इष्टबल और पूर्ण निष्ठा के कारण हमेशा अपने उद्देश्य में सफल रहते थे।

7.3 मामा अमानसिंह : महाराजकुमार भूपाल सिंह जी के गार्डियन –

मामाजी अमानसिंह जी ने मेवाड़ की फौज के कमाण्डर इन चीफ के पद से एक जनवरी 1919 के दिन इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात् महाराणा फतहसिंह जी ने मामाजी को महाराज कुँवर श्री भूपालसिंह जी का गार्डियन नियुक्त किया। मामाजी ने महाराजकुमार को राज धर्म की शिक्षा दी और उनको एक आधुनिक प्रगतिशील राजा के रूप में तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको गीता और रामायण के ज्ञान के गहन भेद समझाये और उन पर आचरण करने की शिक्षा दी।

महाराजकुमार श्री भूपालसिंह जी को महाराणा श्री फतहसिंह जी ने अपनी 75 वर्ष की आयु हो जाने पर 8 अगस्त 1922 को आदेश पारित कर राज का रिजेन्ट बनाकर पूरे इख्तियार प्रदान कर दिये और मामाजी अमानसिंह जी को उनका सलाहकार (एडवाइजर) नियुक्त कर दिया। मामाजी के मार्ग दर्शन में महाराजकुमार राजपाट सुचारू रूप से चलाने लगे।

7.4 भूपाल नोबल्स स्कूल की स्थापना (सन् 1923 ई.) –

महाराजकुमार साहब को रिजेन्सी में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये थे, इसीलिए राजपूत नोबल्स स्कूल कायम करने का प्रस्ताव रखा जिसकी महाराजकुमार साहब ने सराहना की और फरमाया कि ये काम तो शीघ्रातिशीघ्र करो। मामाजी तो पहले ही इच्छुक थे और उनके जीवन का ध्येय ही राजपूतों में विद्या का प्रचार करना था। अतः उन्होंने अपने सहयोगी ठाकुर राजसिंह जी बेदला आदि को साथ लेकर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन करके 2 जनवरी, 1923 को भूपाल नोबल्स हाई स्कूल की नींव रखी और गाँव–गाँव जाकर जागीरदारों के लड़कों को ले पधारे।

मामाजी का ध्येय राजपूत बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ उनमें क्षत्रियोचित स्वभाव का विकास करना था। इसके लिए स्कूल में कुश्ती लड़ना, कसरत करना, लाठी, तलवार, छुरी, चाकू, बन्दूक चलाना, जिम्नास्टिक, लेजियम के साथ पीटी और परेड भी करवाई जाती थी। इसके साथ ही हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेलों की अच्छी व्यवस्था थी और फील्ड स्पोर्टस में विभिन्न दौड़ों, ऊँची कूद, लम्बी कूद, गोला फैंकना आदि सिखाये और करवाये जाते थे। दशहरे पर महाराजकुमार और मेवाड़ के सब जागीरदार सरदार पधारते थे और विभिन्न खेलों के टूर्नामेंट के शील्ड कप आदि विजेताओं को महाराजकुमार के हाथ से इनाम बाँटे जाते थे और लाठी तलवार संचालन का प्रदर्शन किया जाता था। यह एक भव्य समारोह था। इस प्रकार मामाजी ने राजपूत लड़कों को संतुलित एवं पूर्ण विकास करने का कार्यक्रम बनाया। यह मामाजी की दूरदृष्टि का परिणाम है।

मामाजी फरमाते थे कि पौधा तो हमने लगा दिया इसके फल आप लोग देखोगे। आज मामाजी के लगाये हुए पौधे ने डीम्ड युनिवर्सिटी का आकार ले लिया है और युनिवर्सिटी भी बन गया।

7.5 माण्डल के तालाब विवाद का प्रकरण –

सन् 1922 ई. में अतिवृष्टि के कारण माण्डल का तालाब टूट गया जिससे B.B. & C.I. रेल्वे की 3 माइल की रेल पटरी बह गई। रेल्वे ने मेवाड़ के प्राईम मिनिस्टर को नोटिस भेजा कि आपके तालाब के टूटने से रेल्वे की सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। लिहाजा मेवाड़ रियासत इसकी क्षतिपूर्ति करे। उस समय राय बहादुर मेहता पन्नालाल जी मेवाड़ के प्राईम मिनिस्टर थे। उन्होंने महाराणा फतहसिंह जी साहब को नोटिस के बारे में

जानकारी अर्ज़ की। रिमाइन्डर में लिखा गया कि आप यदि फलां तारीख तक रेल्वे की क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे तो रेल्वे इसकी वसूली के लिए वायसराय को लिखेंगे। इसके बाद महाराणा साहब ने मामाजी से एकान्त में सलाह मशविरा किया तो मामाजी ने अर्ज़ किया कि हुजूर ने रेल्वे कम्पनी को रेल्वे लाइन निकालने की इजाजत बक्षी थी। उस समय रेल्वे पर कोई पाबन्दी नहीं लगाकर कम्पनी को खुली छूट दी थी कि वो जहाँ से चाहे रेल्वे लाइन निकाल लें। रेल्वे कम्पनी के सर्वेयर ने सर्वे करके लाइन निकाली थी। उससे पहले ही माण्डल का तालाब मौजूद था। रेल्वे कम्पनी के सर्वेयर को चाहिये था कि रेल्वे लाइन को या तो तालाब के पीछे से निकालते या मौजूदा लाइन में पानी की निकासी का उचित प्रावधान रखते। यह गलती रेल्वे कम्पनी की है। लिहाजा क्षतिपूर्ति रियासत से मांगने का कोई औचित्य नहीं है। रियासत रेल्वे कम्पनी को कोई भुगतान नहीं करेगी। आप चाहे तो वायसराय को लिख सकते हैं। रियासत को इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

जब रेल्वे के नोटिस की अवधि समाप्त होने की थी तो मेहता साहब ने महाराणा साहब को अर्ज़ किया कि हुजूर रेल्वे को मुआवज़ा देने का समय समाप्त होने को है सो रकम की मंजूरी का हुक्म बक्षा जाए नहीं तो रेल्वे कम्पनी वायसराय को लिखेगी तो हुजूर की बदनामी होगी। मेहता साहब ने अर्ज़ किया कि अपने तालाब के टूटने से रेल्वे कम्पनी को नुकसान हुआ है, सो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। मेहता साहब ने मजबूरी जताई कि किसी जवाब से मुआवजा टल नहीं सकता है। महाराणा साहब ने नाराज़गी जताते हुए फरमाया कि जनता का पैसा लुटाने के लिये नहीं है। तुम रियासत के दीवान हो और एक कागज़ का जवाब भी नहीं भुगता सकते हो। लिखो मैं जवाब लिखवाता हूँ। महाराणा साहब ने उपरोक्त

वाक्य जो मामाजी ने अर्ज़ किया था मेहता साहब से लिखवा दिया और साथ में यह भी लिखवाया कि रियासत में रेल्वे लाईन निकालने के लिये जो जमीन दी थी उसका कम्पनी से न तो कोई मुआवजा लिया था और न ही कोई रेवेन्यू लिया जाता है। इस पर भी रेल्वे हमसे मुआवजा मांगती है। यह शर्म की बात है उपरोक्त जवाब जाने के बाद रेल्वे कम्पनी चुप हो गई और मुआवजा का मामला समाप्त हो गया।

7.6 मेहता रामसिंह का घराना[1] –

मेवाड़ प्रशासन में योगदान देने वाले प्रमुख घरानों में महाराणा हम्मीर सिंह प्रथम के शासन काल से महाराणा भूपाल सिंह तक मेहता रामसिंह के घराने की भूमिका रही है। यह जाल मेहता के नाम से जाना जाता है। जाल मेहता जालोर के राव मालदेव चौहान का विश्वासपात्र सेवक था। रावल रत्नसिंह के समय सुल्तान अलाउद्दीन ख़िलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर वह किला एवं मेवाड़ का कितना एक प्रदेश अपने अधीन कर लिया और अपने बड़े शहज़ादे ख़िजरखां को वहां का शासक बनाया। करीब 10 वर्ष तक ख़िजरखां वहां रहा। फिर सुल्तान ने वह प्रदेश सोनगरे मालदेव को दे दिया। सीसोदे का राणा हम्मीर अपना पैतृक राज्य हस्तगत करने का विचारकर मालदेव के अधीनस्थ मेवाड के इलाकों में लूटमार करता रहा। उसे शांत करने के लिए मालदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे मेवाड़ का कुछ इलाका भी दहेज में दिया और अपने विश्वासपात्र सेवक जाल मेहता को अपनी पुत्री का कामदार बनाकर सीसोदे भेज दिया। तब से मेवाड़ के वर्तमान राजवंश और इस मेहता खानदान के बीच स्वामी–सेवक का सम्बन्ध चला आता है।

महाराणा हम्मीर ने मालदेव के मरने पर उसके पुत्र जेसा से चित्तौड़ का राज्य छीन लिया तभी से मेवाड़ पर गुहिलवंश की सीसोदिया शाखा का अधिकार चला आता है। चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने मे हम्मीर को जाल मेहता से बड़ी सहायता मिली, जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दी और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई।

वि.सं. की 19वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश में मेहता ऋषभदास हुआ, जो धर्मशील और सहृदय था। उसका पुत्र मेहता रामसिंह हुआ। रामसिंह कार्यदक्ष, नीतिकुशल, बुद्धिमान और स्वामिभक्त था। उसने मेवाड़ में अच्छी ख्याति प्राप्त की और उसके अच्छे गुणों पर रीझकर वि.सं. 1875 श्रावणादि आषाढ़ सुदि 3 (ई.सं. 1819 ता. 25 जून) को महाराणा भीमसिंह ने उसे बदनोर इलाके का अरणा गांव दिया। उक्त महाराणा के राजत्वकाल में मेवाड़ का शासन–प्रबन्ध उसके और अंग्रेजी सरकार दोनों के हाथ में था। प्रत्येक जिले में महाराणा की ओर से तो कामदार और उक्त सरकार की तरफ से चपरासी नियुक्त रहते थे। दोनों मिलकर प्रजा से हासिल उगाहते थे। इस द्वैध–शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने अंग्रेजी सरकार से शिकायत की तब वि.सं. 1881 (ई.सं. 1828) में मेवाड़ के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेन्ट कप्तान कॉब ने शिवदयाल गलूंड्या को, जो उन दिनों मेवाड़ का प्रधान था, शासन की अव्यवस्था का मूल कारण ठहराकर अलग कर दिया और उसके स्थान पर रामसिंह को नियुक्त किया।[2]

मेहता रामसिंह के 5 पुत्र बख़्तावरसिंह, गोविन्दसिंह, ज़ालिमसिंह, इन्द्रसिंह और फ़तहसिंह हुए। तृतीय पुत्र ज़ालिमसिंह को वि.स. 1918 (ई. स. 1861) में महाराणा शंभूसिंह ने अपने पास उदयपुर बुला लिया। ज़ालिमसिंह अपने पिता की विद्यमानता में मेवाड़ के कई जिलों में हाकिम

रहा और अपने राशमी प्रांत में 'माळ' की जमीन में काश्तकारी का सिलसिला जारी रहा एक गांव बसाया, जो उसके नाम पर ज़ालिमपुरा कहलाता है। वि.सं. 1936 (ई.स. 1879) में उसकी मृत्यु हुई। उसके तीन पुत्र अक्षयसिंह, केसरीसिंह और उग्रसिंह हुए।

वि.सं. 1937 (ई.स. 1880) में अक्षयसिंह मांडलगढ़ का हाकिम बना। फिर वि.सं. 1941 (ई.स. 1884) में महाराणा फतहसिंह के राजत्वकाल में वह भीलवाड़ा का हाकिम बना। वि.सं. 1962 (ई.सं. 1905) में उसका देहान्त हुआ। उसके दो पुत्र जीवनसिंह और जसवन्तसिंह हुए। जोधपुर के महाराजा सरदारसिंह के साथ महाराणा (फतहसिंह) की राजकुमारी का विवाह होने पर जसवंतसिंह राजकुमारी का कामदार बनकर जोधपुर भेजा गया। उक्त कुमारी की मृत्यु हो जाने पर महाराणा ने उसे पीछा बुलाकर सहाड़ा जिले का हाकिम किया और इन दिनों वह भीलवाड़े का हाकिम था।

जीवनसिंह समय समय पर कुंभलगढ़, सहाड़ा, कपासन, जहाजपुर, चित्तौड़, आसींद, भीलवाड़ा, मगरा आदि मेवाड़ के अनेक प्रान्तों का हाकिम रहा और जहाँ वह रहा वहाँ की प्रजा उसके अच्छे बरताव से सदा प्रसन्न रही।

उसकी योग्यता एवं प्रबन्ध कुशलता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे समय समय पर पुरस्कार आदि प्रदान कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। लगातार 35 साल तक हाकिम का काम करने से उसकी प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता प्रसिद्धि में आई, जिससे मेवाड़ के रेजिडेन्टों तथा अन्य अंग्रेज अफसरों ने भी जिनके साथ रहकर काम करने का उसे सुयोग प्राप्त हुआ है, उसकी योग्यता एवं अनुभव की सराहना की है। उस पर वर्तमान

महाराणा सर भूपालसिंह जी की भी पूर्ण कृपा है और उसको महद्राजसभा का मेम्बर नियुक्त किया।

उसके तीन पुत्र तेजसिंह, मोहनसिंह और चन्द्रसिंह हैं। तेजसिंह ने, जो बी.ए., एल.एल.बी. है, कुछ समय तक सीतापुर में वकालात की। फिर महाराणा फतहसिंह ने वि.सं. 1975 (ई.स. 1918) में उसे कुंभलगढ़ तथा सायरा प्रान्त का हाकिम नियुक्त किया। वि.सं. 1978 (ई.स. 1921) में वह राजकुमार भूपालसिंह जी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुआ। वि.सं. 1987 (ई.स. 1930) में उनके महाराणा होने के समय से ही वही उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है। उक्त महाराणा ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसको सोने का लंगर प्रदान कर सम्मानित किया।

मोहन सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय की एम.ए. परीक्षा पास कर कुछ काल तक इलाहाबाद, आगरा व अजमेर में प्रोफेसर रहा। फिर वि.सं. 1978 (ई.स. 1921) में कुंभलगढ़ और सायरे का हाकिम हुआ। मेवाड़ में जब बन्दोबस्त का काम शुरू हुआ उस समय वह सेटलमेन्ट अफसर का मुख्य असिस्टेन्ट नियुक्त हुआ। वि.सं. 1982 (ई.स. 1925) में उसने इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास की और लंदन यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की। राजपूताने में यह पहला व्यक्ति है, जिसने विद्वता सूचक ऐसी उच्च डिग्री प्राप्त की। मेवाड़ में स्काउट संस्था का जन्म उसी के सदुपयोग का फल है। उस समय यह महकमा माल का हाकिम (Revenue officer) था।[3]

7.7 पुरोहित राम का घराना –

पुरोहित राम के पूर्वज अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुरोहित थे। वे पृथ्वीराज के मारे जाने और उसके साम्राज्य पर मुसलमानों

का अधिकार हो जाने के पीछे उसके वंशज हम्मीर तक रणथंभौर के चौहानों के पुरोहित रहे। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में रणथंभौर का राज्य चले जाने पर वहाँ के चौहान जब इटावा, मैनपुरी, गुजरात आदि की तरफ चले गये उस समय उनके पुरोहित भी उनके साथ उधर गये। फिर वि.सं. 1584 (ई.स. 1527) में जब खानवे में बाबर के साथ महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) की लड़ाई हुई उस समय राजोर का स्वामी माणिकचन्द चौहान चार हजार सेना सहित महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ उसका पुरोहित वागीश्वर भी था। माणिकचन्द तथा वागीश्वर दोनों महाराणा की सेना में रहकर बाबर से लड़े और मारे गये। इस सेवा के उपलक्ष्य में माणिकचन्द के वंशजों को मेवाड़ राज्य की ओर से कोठारिये की जागीर मिली। वागीश्वर के वंशज कोठारिये के पुरोहित रहे।[4]

वि.सं. 1593 (ई.स. 1536) में महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के दासीपुत्र वणवीर ने महाराणा विक्रमादित्य को मार डाला और उसके छोटे भाई उदयसिंह का भी वध करने के लिए धाय पन्ना के, जो खीची जाति की थी, पास गया, परन्तु उसको वणवीर की बुरी नियत की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उदयसिंह को वहाँ से निकाल कर उसके बिस्तर पर अपने पुत्र को सुला दिया, जिसे उदयसिंह समझकर वणवीर ने मार डाला। फिर धाय पन्ना उदयसिंह को साथ लेकर कुंभलगढ़ चली गई। वि.सं. 1594 (ई.स. 1537) में वणवीर से अनबन हो जाने के कारण कोठारिये का रावत खान, जो उन दिनों चित्तौड़ में था, कुंभलगढ़ में उदयसिंह से जा मिला और उसने सलूंबर के रावत सांईदास, केलवे के सरदार जागा, बागौर के रावत सांगा आदि सरदारों को बुलाकर वहीं उसका राज्याभिषेक किया। रावत खान पर महाराणा का पूरा विश्वास था, इसलिए उससे ही उसने अपने भरोसे के सेवक लिए, जिनमें वागीश्वर के

पौत्र नरू का द्वितीय पुत्र राम भी था। उसी समय से राम तथा उसके वंशज पुरोहिताई का पुश्तैनी पेशा छोड़कर चित्तौड़ एवं उदयपुर से महाराणाओं की सेवा में रहने लगे और पीछे से महाराणा के दरबार के प्रबन्धकर्ता (Master of Ceremony) रहे।

वि.सं. 1634 मार्गशीर्ष वदि 3 (ई.स. 1577 ता. 29 अक्टूबर) के एक दान–पत्र से विदित है कि उक्त पुरोहित तथा उसके पुत्र भगवान तथा काशी को महाराणा प्रतापसिंह ने ओडा गांव दिया। यह गांव उन्हें महाराणा उदयसिंह ने दिया था, परन्तु गोगून्दा की लड़ाई के समय उसका ताम्रपत्र खो गया, जिससे महाराणा प्रतापसिंह ने उसका नया दानपत्र कर दिया।

7.8 कोठारी केसरीसिंह का घराना[5] –

कोठारी छगनलाल और केसरीसिंह के पूर्वज राजपूत थे, परन्तु पीछे से जैनधर्म ग्रहण करने से उनकी गणना ओसवालामें में हुई। वि.सं. 1902 (ई.स. 1845) में महाराजा सरूपसिंह के समय 'रावली दूकान' (State Bank) कायम हुई और कोठारी केसरीसिंह उसका हाकिम नियुक्त हुआ। वि.सं. 1908 (ई.स. 1851) में वह महकमे 'दाण' (चुंगी) का हाकिम बनाया गया और महाराणा के इष्ट–देव एकलिंगजी के मन्दिर सम्बन्धी प्रबन्ध भी उसी के सुपुर्द हुआ। वह महाराणा का खानगी सलाहकार भी रहा। उसके कामों से प्रसन्न होकर महाराणा ने वि.सं. 1916 में उसे नेतावला गाँव जागीर में दिया और उसकी हवेली पर मेहमान होकर उसका सम्मान बढ़ाया। फिर उसी साल मेहता गोकुलचंद के स्थान पर उसको प्रधान बनाया और बोराव गाँव तथा पैरों में पहनने के सोने के तोड़े प्रदान किये। महाराणा शंभुसिंह की बाल्यावस्था के कारण राज्य प्रबन्ध के लिये मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेन्सी कौन्सिल (पंचसरदारी) कायम

हुई, जिसका एक सदस्य कोठारी केसरीसिंह भी था और माल (Revenue) के काम का निरीक्षण भी उसी के अधीन रहा।

7.9 महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास का घराना –

महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास दधवाड़िया गोत्र का चारण था। उसके पूर्वज रूंण के सांखले राजाओं के 'पोलपात' थे। उनको दधिवाड़ा गांव शासन (उदक) में मिला, जिससे वे दधावड़िये कहलाये। जब सांखलों का राज्य जाता रहा तब वे मेवाड़ के महाराणा की सेवा में जा रहे। उनके साथ उनका पोलपात चारण जैतसिंह भी मेवाड़ में चला गया, जिसको महाराणा ने नाहरमगरे के पास धारता और गोठिपा गांव दिये। जैतसिंह के चार पुत्र महपा, मांडन, देवा और बरसिंह हुए। महाराणा संग्रामसिंह प्रथम ने महपा को ढोकलिया और मांडन को शावनर गाँव दिया, जिससे धारता देवा के और गोठिया बरसिंह के रहा। देवा के वंशज धारता और खेमपुर में है और बरसिंह के गोठिपे में। महपा का पुत्र आसकरण और उसका पुत्र चत्रा हुआ। बादशाह अकबर ने मांडलगढ़ का किला लेकर चित्तौड़ पर हमला किया उस समय ढोकलिया गांव भी शाही खालसे में चला गया, परन्तु कई वर्षों बाद चत्रा दिल्ली गया और जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के द्वारा अर्ज करवा कर उसने अपना गांव फिर बहाल करा लिया।[6]

वि.सं. 1928 (ई.स. 1871) में महाराणा शंभुसिंह ने श्यामलदास और पुरोहित पद्मनाथ को उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने की आज्ञा दी। इन दोनों ने उक्त इतिहास लिखना शुरू किया, परन्तु उक्त महाराणा का देहान्त हो जाने से उसका लिखा जाना रुक गया। महाराणा सज्जनसिंह के समय वह (श्यामलदास) उसका प्रीति–पात्र और मुख्य सलाहकार हुआ।

उक्त महाराणा ने प्रसन्न होकर उसको कविराजा की उपाधि, ताजीम आदि प्रदान कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई और पैरों में सोने के आभूषण पहनने का सम्मान प्रदान किया। महाराणा ने उसको महद्राजसभा का सदस्य भी नियुक्त किया। जब मगरा जिले में भीलों का उपद्रव हुआ उस समय उस (महाराणा) ने अपने मामा महाराज अमानसिंह को ससैन्य उन पर भेजा और उस (श्यामलदास) को भी उसके साथ कर दिया। लड़ाई होने के बाद भील कविराजा श्यामलदास के समझाने और उनका आधा बराड़ (जमीन का महसूल) माफ होने की शर्त पर शांत हो गये।

महाराणा सज्जनसिंह ने विद्या की उन्नति, राज्य का सुधार, सेटलमेन्ट (बन्दोबस्त), जमाबन्दी का प्रबन्ध, महद्राजसभा आदि न्यायालयों की स्थापना, नई नई इमारतें बनाकर शहर की शोभा बढ़ाने और प्रजा को लाभ पहुंचाने आदि अनेक अच्छे काम किये, जिनमें उनका मुख्य सलाहकार वही (श्यामलदास) था। वह विद्यानुरागी, गुणग्राहक, स्पष्टवक्ता, भाषा का कवि, इतिहास का प्रेमी, अपने स्वामी का हितैषी और नेक सलाह देने वाला था। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि किसी भी ग्रन्थ से एक बार पढ़ी हुई बात उसको सदा स्मरण रहती थी।

7.10 महाराणा फतहसिंह कालीन मेवाड़ (1884–1930 ई.) –

मेवाड़ में राष्ट्रीय चेतना का उदय –

मेवाड़ सदियों से वीर–प्रसुता भूमि माना जाता रहा है। यहाँ के नागरिकों ने आदर्शों की रक्षा एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अनेक अवसरों पर अपने प्राण न्योछावर किए। महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष ने तो न केवल मेवाड़ वरन् समस्त भारत के लिए एक आदर्श स्थापित किया। यहाँ के शासकों ने मध्य युग में तुर्क एवं मुगल बादशाहों से लोहा लिया।

उनके संघर्ष की भावना यहाँ की जनता के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रही।[7]

आधुनिक युग में भी मेवाड़ पीछे नहीं रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समस्त भारत में राजनैतिक चेतना की लहर प्रारम्भ हो चुकी थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि की स्थापना शिक्षा का विकास, 1857 की क्रान्ति – ये सभी और इसी प्रकार की अनेक संस्थाओं एवं घटनाओं ने भारतीय नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जाग्रत किया।[8]

मेवाड़ में राजनैतिक चेतना के उदय और विकास में विशेषतः आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था।[9] 1883 में उन्होंने उदयपुर की यात्रा की तथा वहाँ 'परोपकारिणी सभा' नामक संस्था की स्थापना की। इस सभा में कुल 23 सदस्य थे जिसमें शाहपुरा के राजाधिराज नाहरसिंह और श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रमुख थे इनमें श्याम जी कृष्ण वर्मा आगे चलकर मेवाड़ का प्रधान बने।[10]

मेवाड़ के नागरिकों में क्रान्तिकारी भावनाओं को जाग्रत करने का बहुत कुछ श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को है। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा फतहसिंह और श्यामजी कृष्ण वर्मा दोनों ही मेवाड़ के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कट्टर विरोधी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों के प्रति ब्रिटिश सरकार पहले से ही शंकित थी। अतः वहाँ के रेजिडेन्ट और राज्य के ब्रिटिश समर्थक दल ने इस नियुक्ति का तीव्र विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का तीव्र विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को यह पद त्यागना पड़ा और वे वहाँ से जूनागढ़ के दीवान के पद पर चले

गये।[11] परन्तु 1896 में महाराणा ने पुनः उन्हें मेवाड़ में प्रधान पद पर नियुक्त कर लिया।

ब्रिटिश सरकार को वर्मा की पुनर्नियुक्ति बिलकुल अच्छी नहीं लगी। तदनुसार मेवाड़ के तत्कालीन रैजिडेन्ट कर्नल डब्ल्यू एस. सी. वाइली ने महाराणा पर दबाव डाला कि इस प्रकार के क्रान्तिकारी विचारों वाले व्यक्ति को राजकीय सेवा में नहीं रखा जाय परन्तु महाराणा ने उनके दबाव की पूर्णतः अवहेलना करते हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा को मेवाड़ में ही रहने दिया। मेवाड़ में उनकी क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ पूर्ववत चलती रही। परिणामतः ब्रिटिश सरकार श्याम कृष्ण जी वर्मा को सेवामुक्त करने के लिए महाराणा पर निरन्तर दबाव डालती रही। अन्ततोगत्वा श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत छोड़कर इंगलैण्ड चले गये। उन्होंने इगलैण्ड में भी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखी।[13] इंग्लैण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 'इंडियन सोशियोलोजिस्ट' नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित किया और 'इण्डियन होम रूल लीग' की स्थापना की तथा हरबर्ट स्पेन्सर, राणा प्रताप और स्वामी दयानन्द के नाम पर तीन छात्र– वृत्तियाँ प्रारम्भ की। ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो इंग्लैण्ड में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के इच्छुक थे और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे।[14]

इसी प्रकार मध्य मेवाड़ में स्वदेशी आन्दोलन भी प्रारम्भ हो चुका था। स्वामी गोविन्द गिरी के नेतृत्व में प्रारम्भ किये गये इस आन्दोलन में जनता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनने का निश्चय किया। आन्दोलनकारियों की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो उठी और 1908 में ब्रिटिश सरकार ने समस्त देशी

राज्यों को आदेश प्रसारित किये कि वे अपने राज्यों में स्वदेशी आन्दोलन को पूर्ण रूप से कुचल दें।

7.11 वीर भारत सभा तथा केसरीसिंह बारहठ की गतिविधियाँ –

यह सभा भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की क्रान्तिकारी विचार धारा की एक कड़ी मानी जा सकती है। राजस्थान में इसकी एक गुप्त संगठन के रूप में स्थापना हुई। इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्त्ता शाहपुरा के केसरीसिंह बारहठ, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, भूपसिंह, खरवा के राव गोपालसिंह, अर्जुनलाल सेठी तथा रामनारायण चौधरी थे।[15] केसरीसिंह बारहठ और राव गोपालसिंह इस संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा उनका राजघरानों से अच्छा सम्पर्क था। राजस्थान के अनेक शासकों ने भी इस संस्था को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया।[16] जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह, ईडर के कर्नल प्रताप सिंह, बीकानेर के महाराज गंगासिंह और बड़ोदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, वीर भारत सभा के सदस्य थे, कोटा के महाराव उम्मेदसिंह यद्यपि वीर भारत सभा के सदस्य तो नहीं थे परन्तु वह क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखते थे। उपरोक्त सभी शासकों ने अनेकों क्रान्तिकारियों को गुप्त रूप से अपने राज्य में सेवाएं दे रखी थी। महाराणा फतहसिंह को भी इस संस्था के प्रति बड़ी सहानुभूति थी।[17]

वीर भारत सभा के संचालन में केसरीसिंह बारहट तथा उनके परिवार का प्रमुख योगदान था। केसरीसिंह बारहट जाति से चारण थे तथा मेवाड़ के शाहपुरा में उन्हें एक छोटी सी जागीर प्राप्त थीं। अपनी प्रखर बुद्धि और योग्यता से केसरी सिंह शीघ्र ही महाराणा फतहसिंह के सम्पर्क में आ गया तथा महाराणा ने उन्हें अपने सलाहकार के पद पर नियुक्त कर

लिया।[18] यद्यपि 1899 में वे कोटा के महाराजा उम्मेद सिंह के निमन्त्रण पर मेवाड़ छोड़ कर वहाँ चले गये, परन्तु इसके उपरान्त भी उनका महाराणा और मेवाड़ से सम्पर्क यथावत बना रहा था। 1903 में जब महाराणा ब्रिटिश सरकार द्वारा बाध्य किए जाने पर दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए उदयपुर से प्रस्थान कर चुके थे तो केसरी सिंह ने मार्ग में उन्हें 13 दोहे (चेतावनी रा चुंगट्या) लिख कर दिये जिसमें मेवाड़ के पूर्व के महाराणाओं के गौरव और देश प्रेम आदि की अभिव्यक्ति की गई थी। इन दोहों का महाराणा पर यह प्रभाव पड़ा कि वे उस विशाल दरबार में सम्मिलित नहीं हुए और उदयपुर लौट आये।

कोटा में रहते हुए भी केसरीसिंह ने वहां एक गुप्त क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना की जिसमें बंगाल सिक्रेट सोसायटीज की भांति युवकों को राष्ट्रीय सेवा के लिये प्रशिक्षित किया जाता था। यह संगठन पूँजीपतियों तथा धनिक वर्ग के व्यक्तियों को लूटने और उनकी हत्या करने तक में भी संकोच नहीं करता था। इस प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त धन से यह संगठन शस्त्र आदि खरीदता था। साथ ही साथ उस धन का उपयोग ऐसे साहित्य के प्रकाशन पर भी किया जाता था जिसके माध्यम से जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जागृत हो तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को अधिक से अधिक जनता का समर्थन प्राप्त हो सके।

23 दिसम्बर 1912 को वाइसराय लार्ड हार्डिग्ज पर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में दिल्ली के चान्दनी चौक में बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग के सिर में हल्की सी चोट लगी तथा उसका एक अंगरक्षक मारा गया।[19] रास बिहारी बोस के साथ इस षडयन्त्र में केसरीसिंह बारहट के भाई जोरावरसिंह तथा भूपसिंह भी सम्मिलित थे।[20]

ब्रिटिश सरकार को केसरीसिंह की क्रान्तिकारी गतिविधियों पर कई वर्षों से सन्देह था अतः उन्हें 21 मार्च 1914 को बिना अभियोग के बन्दी बना लिया गया। सरकार को उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए जिनमें वीर भारत सभा तथा कोटा के गुप्त क्रान्तिकारी संगठन की गतिविधियों का विवरण था।[21] अतः सरकार द्वारा केसरीसिंह के समस्त परिवार के सदस्यों के नाम वारेन्ट जारी कर दिये गये। केसरीसिंह पर सरकार उलटने के प्रयास का आरोप लगाकर 20 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके पश्चात उन्हें बिहार के हजारीबाग कारागृह में भेज दिया गया।

कारागृह में केसरीसिंह ने अन्न न लेने की प्रतिज्ञा की तथा निरन्तर 28 दिन बिना अन्नजल के व्यतीत किये। जेल अधिकारियों द्वारा पानी में थोड़ा सा चावल का मांड मिलाकर रबड़ की नली द्वारा उनके पेट में डाला जाता था। उस अवधि में उन्हें कालकोठरी से बाहर भी नहीं निकाला गया।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कैदियों की सजाओं में कुछ छूट के आदेश दिये जिसके अन्तर्गत केसरीसिंह भी बन्दी गृह से छूट गये।[22] इसके पूर्व ही ब्रिटिश सरकार के इशारे पर शाहपुरा राजाधिराज नाहरसिंह ने उनकी सारी जागीर जब्त कर ली थी। इन्हीं परिस्थितियों में केसरीसिंह अज्ञातवास में चले गये, जहां घोर कष्टों का सामना करते हुए दर–दर भटकते रहे। अन्त में देश भक्ति का कार्य करते हुए अज्ञातवास में ही 1939 में उनका स्वर्गवास हो गया।

वीर भारत सभा के अन्य सदस्यों को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक यातनाएँ दी गई। केसरीसिंह के पुत्र कुँवर प्रतापसिंह बरेली जेल में

अधिकारियों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए। खरवा के ठाकुर गोपालसिंह पर बनारस षडयन्त्र में भाग लेने का आरोप लगाया गया तथा उन्हें गद्दी च्युत करके कारागृह में नजरबन्द कर दिया गया। अर्जुनलाल सेठी को भी बन्दी बनाकर सरकार द्वारा नजर बन्द कर दिया गया।

7.12 बिजोलिया कृषक आन्दोलन –

बिजोलिया उदयपुर से उत्तर पूर्व में 112 मील दूर बून्दी की सीमा पर एक ऊंचे पहाड़ी स्थान पर बसा हुआ है। इसको ऊपरमाल या उत्तम शिखर भी कहते हैं। यह मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का जागीरी ठिकाना था। जहाँ का जागीरदार 'राव' कहलाता था।[23]

1897 में बिजोलिया जागीर के कृषकों ने ठिकानों के अत्याचारों, विभिन्न करों तथा लागतों के भयंकर बोझ के विरुद्ध आवाज उठाई। उसी वर्ष एक दिन वहां के समस्त किसान गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकर के पिता के मृत्यु भोज में एकत्रित हुए तथा उन्होंने निश्चय किया कि वे बेगार और लागतों के विरुद्ध महाराणा को शिकायत करेंगे। तद्नुसार कृषकों के दो प्रतिनिधि नान जी पटेल एवं ठाकरी पटेल किसानों की कष्ट गाथा सुनाने के लिये उदयपुर गये।[24]

दीर्घकाल तक उदयपुर में दौड़–धूप और परिश्रम के पश्चात् महाराणा ने बिजोलिया के कृषकों की कष्ट गाथा को सुना और महकमा खास के सहायक माल हाकिम को किसानों की लागतों और बेगार सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिये बिजोलिया भेजा। हाकिम 6 महिने तक बिजोलिया में ठहरे और उन्होंने पूर्ण जाँच के पश्चात् ठिकाने के विरुद्ध निर्णय दिया, परन्तु महाराणा ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। केवल एक दो साधारण लागतों को कम करने के आदेश दे दिये।

इसके उपरान्त 1899 के भीषण दुर्भिक्ष से कृषक जनता और भी व्याकुल हो गई।[25]

1903 में वहां के सामन्त द्वारा कृषकों पर चंवरी नामक एक नया टैक्स लगाया गया। यह नया कर केवल आर्थिक दृष्टि से ही प्रजा पर एक बड़ा और असहनीय भार नहीं था वरन् एक दृष्टि से घोर अपमानजनक भी था। जो भी पिता अपनी कन्या का विवाह करता वह तेरह रुपये ठिकाने में जमा कराता और वर महलों में जाकर, जब तक वहां के सामन्त को अभिवादन कर उनके समक्ष नतमस्तक नहीं होता, कन्या की विदाई नहीं हो सकती थी।[26] कृषकों ने इसके विरोध में दो वर्ष तक अपनी कन्याओं के विवाह बन्द कर दिये तथा वहां के सामन्त के पास जाकर 'चंवरी' टैक्स हटाने का अनुरोध किया, किन्तु उन्होंने टैक्स नहीं हटाया फलस्वरूप कृषक बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर की ओर चल पड़े। इस पर वहां के राव कृष्णसिंह बड़े चिन्तित हुये और उन्होंने कृषकों से क्षमा माँगी और उन्हें मनाकर पुनः ले आये।

सन् 1906 में राव कृष्णसिंह के देहावसान पर पृथ्वीसिंह बिजोलिया की गद्दी पर बैठे। उन्होंने किसानों पर कई प्रकार के नये कर लगाये तथा पुराने करों में भी वृद्धि की। कृषक वर्ग ऐसा नहीं चाहता था परन्तु जब उनकी पुकार को वहां के सामन्त ने नहीं सुना तो कृषकों के निश्चयानुसार वहाँ का सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र उस वर्ष बिना जोता–बोया छोड़ दिया। स्थिति यहां तक गंभीर हो गई कि कृषकों ने भूराजस्व भी देने से इन्कार कर दिया।[27]

प्रारंभ में इस आन्दोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे।[28] परन्तु इसी बीच 1915 में जब वे चित्तौड़ में प्रथम बार विजयसिंह

पथिक से मिले तो पथिक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर साधु सीताराम ने उन्हें आन्दोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। पथिक ने इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बिजोलिया पहुँच कर पथिक ने एक सेवा समिति नामक संस्था बनाई जिसके माध्यम से वे जनता में जागृति के भाव भरने लगे। इस प्रकार सम्पूर्ण बिजोलिया में नवीन जागरण और संगठन का सूत्रपात हुआ। एक वर्ष के बाद ही 1916 में वहां के किसानों ने साधु सीताराम की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड की भी स्थापना की।

1916 में प्रथम महायुद्ध (1914–1918) के लिए ब्रिटिश सरकार के आदेश से वहाँ के सामन्त द्वारा किसानों से युद्ध ऋण और चन्दा बलात वसूल किया जाने लगा। इस पर विजय सिंह पथिक से प्रेरणा पाकर कृषकों ने युद्ध ऋण नहीं दिया और सामन्त को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार से वहां के कृषकों ने पथिक के नेतृत्व में आन्दोलन आरंभ किया। उन्होंने ठिकाने की आज्ञाओं की अवहेलना करना अथवा बेगार न देना, अदालत तथा पुलिस का बहिष्कार करना तथा पंचायत के माध्यम से समस्त निर्णय करवाने का निश्चय किया। कृषकों के निर्णय की यह प्रतिक्रिया हुई कि वहाँ का सामन्त कृषकों पर क्रूर दमन करने लगा। कृषकों से बलपूर्वक चन्दा वसूल किया जाने लगा तथा मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई, अथवा जेल में ठूंसा गया,[29] फिर भी दमन चक्र द्वारा किसानों की क्रान्तिकारी भावनाओं को दबाया नहीं जासका वरन उनमें और तीव्रता आ गई। स्थिति का लाभ उठाकर पथिक ने मेवाड़ राज्य तथा ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों का प्रचारार्थ सहयोग प्राप्त किया। कानपूर का 'प्रताप', प्रयाग का 'अभ्युदय', कलकत्ते का 'भारत मित्र' तथा

पूना का 'मराठा' बिजोलिया आन्दोलन के विस्तृत समाचार छापने लगे जिससे आन्दोलन और उग्र बन गया और सम्पूर्ण राष्ट्र बिजोलिया आन्दोलन से परिचित हो गया।[30]

ब्रिटिश सरकार बिजोलिया आन्दोलन की भावना से अत्यधिक भयभीत हो गई। उन्हें यह शंका होने लगी कि बिजोलिया आन्दोलन की यह भावना कहीं सम्पूर्ण भारत में नहीं फैल जाये। अतः उन्होंने महाराणा पर दबाव डाला कि वे इस आन्दोलन का शीघ्रातिशीघ्र दमन कर दे। ऐ. जी.जी. होलेन्ड ने महाराणा को सूचित किया कि, ''मेवाड़ तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में बोल्शेविक घुस आये हैं तथा रूसी क्रान्ति के आधार पर भारत में भी सशस्त्र क्रान्ति करना चाहते हैं।''

इस आन्दोलन को कुचलने के उद्देश्य से मेवाड़ सरकार ने दमन कारी साधनों का अनुसरण किया। माधोसिंह के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा गया जिसने हजारों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। पथिक को गिरफ्तार करने के लिये काफी प्रयत्न किये गये परन्तु वे बच निकले और उसके तुरन्त बाद ही उनका काम माणिक्यलाल वर्मा ने सम्भाल लिया।[31] महाराणा फतहसिंह की आन्दोलनकारियों के साथ पूर्ण सहानुभूति थी अतः उन्होंने अपने सैन्य दल को गुप्त आदेश दे रखे थे कि पथिक को गिरफ्तार न करें।[32] 1919 में पथिक बिजोलिया से वर्धा चले गये, जहां उन्होंने 'राजस्थान केसरी' पत्र निकाल कर देशी राज्यों में व्याप्त अत्याचारों और दमनों को संसार के सम्मुख प्रकट किया।

अन्त में ए.जी.जी. के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ठिकाने के जागीरदारों और बिजोलिया किसानों के मध्य एक समझौता सम्पन्न हुआ। तदनुसार किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। जितनी भी

अन्यायपूर्ण लागतें थी उन्हें माफ कर दिया गया तथा अधिकांश बेगार समाप्त कर दी गई। यह भी निश्चय किया गया कि किसानों के विरुद्ध चलने वाले समस्त मुकदमें वापस ले लिये जायेंगे। इस प्रकार 1922 में बिजोलिया आन्दोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

7.13 लोकसंत बावजी महाराज चतुरसिंह जी[33] : मेवाड़ में सांस्कृतिक पुर्नजागरण –

लोकसंत महाराज चतुर सिंह जी बावजी मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्र के पवित्र वंश मेवाड़ राजवंश में योग की अलख जगाने वाले बप्पा रावल की परम्परा के संत थे और मेवाड़ की युवरानी भक्त शिरोमणी मीराबाई की भक्ति से ओतप्रोत थे। मीरां ने जिस भक्ति की लहर को आरम्भ किया, उसे महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे ने आगे बढ़ाया और वल्लभ कुल के तिलकायत गोस्वामी से ब्रह्म सम्बंध लिया। इस प्रकार शौर्य और अध्यात्म से जागृत मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश में 19वीं शताब्दी में एक राज राजेश्वर संत महायोगी महाराज चतुर सिंह जी बावजी का जन्म हुआ। उन्होंने मेवाड़ में सवा सौ साल पहले अध्यात्मिक क्रांति के साथ ही राजनीति समस्याओं और जनजागृति के लिए जनभाषा मेवाड़ी का प्रयोग कर एक नए युग का सूत्रपात किया।

बावजी चतुर सिंह जी का जन्म मेवाड़ के महाराणा फतह सिंह जी शिवरती के बड़े भाई और करजाली के जागीरदार महाराज सूरत सिंह जी व उनकी पत्नी कृष्ण कंवर के घर माघ कृष्णा चतुर्दशी संवत् 1936, तद्नुसार 9 फरवरी 1880 को हुआ। मेवाड़ राजवंश के से सम्बंधित भाइपा में करजाली–शिवरती परिवार के इतिहास पुरूषों में लोकप्रिय संत महाराज चतुर सिंह जी बावजी का नाम जन–जन में व्याप्त है। बावजी राजपरिवार

के ऐश्वर्य को त्याग कर जीवन पर्यन्त आध्यात्मिक चेतना में लगे रहे और इसे उन्होंने सरस, सरल और मातृभाषा मेवाड़ी में अपने उपदेश जन–जन तक संप्रेषित किये। इसी कारण उन्हें योगेश्वर (योगीराज) कहा जाता है। शासन और सामंतीय व्यवस्था के गुण–अवगणु से राज्य की प्रजा को अपने काव्य और दर्शन के ग्रंथों के माध्यम से अवगत करवाया और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसी कारण उन्हें कई बार मेवाड़ का विवेकानंद कहकर सम्बोधित किया गया।

इस प्रकार बावजी चतुरसिंह के प्रथम गुरु गुमानसिंह जी लक्ष्मणपुरा थे और उन्हें से उन्हें साधना और योगसिद्ध दोनों प्राप्त हुई। अब बावजी ने अपना आश्रम नऊवा में एक कुटिर बना कर आरम्भ किया और अपना अधिक समय साधना में लगाया। वर्तमान में वहां उनका समाधि स्थल और स्मारक है। आपको आत्म साक्षात्कार संवत् 1978 में हुआ। इन्होंने योगेश्वर गुमान सिंह जी पाए आध्यात्मिक ज्ञान को जन–जन में प्रचारित करने के लिए मेवाड़ की राजधानी उदयपुर के निकट सुखेर गांव में आश्रम सुखधाम की स्थापना की। वर्तमान में यह आश्रम उदयपुर से निकल रहे राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–8 पर स्थित है। इस स्थान का अब हवा मगरी के नाम से जाना जाता है।[34]

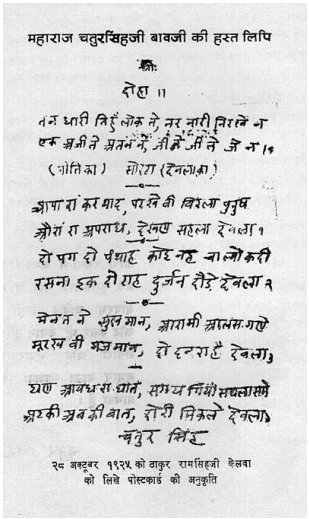

महाराज चतुरसिंहजी बावजी की हस्त लिपि

दोहा ॥

२८ अक्टूबर १९२५ को ठाकुर रामसिंहजी केलवा को लिखे पोस्टकार्ड की अनुकृति

आज से सौ वर्ष पूर्व महामारी के दौर में आपने जनता के हित के लिए कई राहत कार्य करवाए। आपने जैन शास्त्र, काश्मीर शैव सिद्धान्त के ग्रंथों, इस्लाम की मूल पुस्तक कुरान शरीफ, ईसाइयत के मूल ग्रंथ बाइबल का भी अध्ययन किया। मेवाड़ी भाषा के प्रचार और विस्तार के साथ उसमें साहित्य सृजन का प्रारम्भिक श्रेय बावजी चतुरसिंह जी को जाता है। उन्होंने गीता, योगसूत्र, सांख्यकारिका, मार्कण्डेयकृत चंद्रशेखर स्रोत पर मेवाड़ी भाष में टीका लिखी। आपने चतुर चिंतामणी, समान बत्तीसी, मानवचित्र रामचरित, अनुभव प्रकाश, लेख संग्रह आदि ग्रंथों का सृजन किया। बावजी की शोध ग्रंथ व रचनाओं पर शोधार्थी शोध के रूप में उपयोग लेते हैं। बावजी की रचनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है। महिलाओं, दलितों, किसानों, नशामुक्ति आदि पर आपने सरल रचनाएं मेवाड़ी भाष में सृजित की। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद्, महाकाव्यों आदि को मानव जीवन में उतारने पर बल दिया, जिससे की आज का युवा सही मार्ग प्रशस्त कर सके। बावजी ने आज की कुरीतियों के ऊपर सवा सौ साल पहले दारू (मदिरा) पर रचना 'दारू री रीत' जिससे उन्होंने अपने काल में नवयुवकों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है।[35]

दारू री दोय सदा शुरीती।

मरया पछे नरकं में पड़नो, जीता जीव फजिती।

जद शिशो पी मेट दी, मद पिवा री गाळ।

वो मादवी शिशोद अब, पिवे शिशा ढाल।

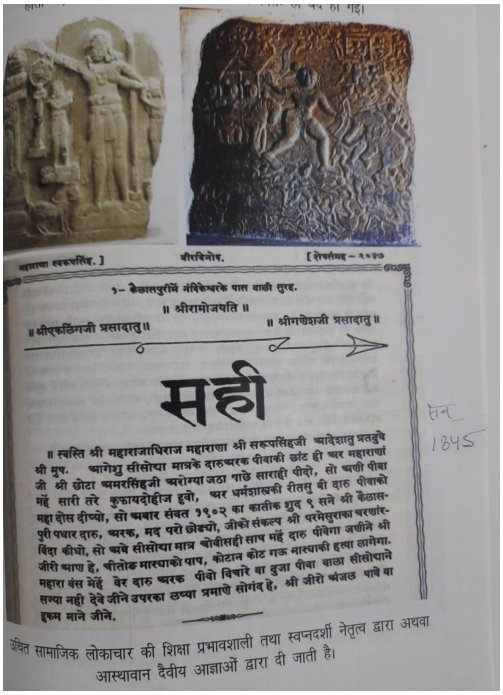

महाराणा स्वरूपसिंह.] वीरविनोद. [शेषसंग्रह – २०७७

१– कैलासपुरीमें नंदिकेश्वरके पास वाली सुरह.

॥ श्रीरामोजयति ॥

॥ श्रीएकलिंगजी प्रसादातु ॥ ॥ श्रीगणेशजी प्रसादातु ॥

सही

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री सरूपसिंहजी आदेशातु प्रतहुवे श्री मुष. आगेशु सीसोद्या मात्रके दारुअरक पीवाकी छांट ही अर महाराणां जी श्री छोटा अमरसिंहजी अरोग्या जठा गाछे साराही पीदो, सो अणी पीवा महें सारी तरे कुफायदोहीज हुवो, अर धर्मशास्त्रकी रीतसु बी दारु पीवाको महा दोस दीप्यो, सो अबार संवत १९०२ का कातीक शुद ९ सने श्री कैलासपुरी पधार दारु, अरक, मद परो छोड्यो, जीको संकल्प श्री परमेसुराका चरणांरविंदा कीधो, सो अबे सीसोद्या मात्र चोवीसही साप महें दारु पीवेगा जणीने श्री जीरी आण हे, चीतोड मारयाको पाप, कोटान कोट गऊ मारयाकी हत्या लागेगा. महारा वंस मेहें वेर दारु अरक पीवो विचारे वा दुजा पीवा वाला सीसोद्याने सज्या नही देवे जीने उपरका लख्या प्रमाणे सोगंद हे, श्री जीरो अंजल पावे वा हुकम माने जीने.

उचित सामाजिक लोकाचार की शिक्षा प्रभावशाली तथा स्वप्नदर्शी नेतृत्व द्वारा अथवा आस्थावान दैवीय आज्ञाओं द्वारा दी जाती है।

उनकी नवचेतना को जगाने वाली अमर पंक्तियां हैं, जो युगों युगों तक मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। बावजी की शिक्षाओं से प्रेरित नाथद्वारा निवासी भूरी बाई नामक एक महिला हुई थी जो निरक्षर थी। उन्होंने सहज भक्ति, सहज ज्ञान, सहज वैराग्य, सहज व्यवहार की मार्ग चुना। भूरी बाई की काली पोथी और उनके आध्यात्मिक चैतन्य से प्रेरित होकर तत्कालीन आचार्य रजनीश जैसा दार्शनिक भी उनके साधना केन्द्र अलख आश्रम नाथद्वारा में रहे। जिसका उल्लेख रजनीश ने अपने ग्रंथों में किया। वस्तुतः भूरी बाई संत शिरोमणि मीरा बाई, सहजो बाई, गवरी बाई, रूबिया की तरह से लोकसंत के रूप में विख्यात थे।

7.14 महाराणा भूपालसिंह (सन् 1930–1956 ई.)[36] : आधुनिक मेवाड़ के स्वप्नदृष्टा –

महाराणा फतहसिंह के उत्तराधिकारी महाराणा भूपालसिंह मेवाड़ के आधुनिकीकरण तथा सर्वांगीण विकास के स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति और भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व ही मेवाड़ रियासत में

प्रजातान्त्रिक व जनप्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली लागू कर दी थी। इस हेतु उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मूल्यों के आधार पर मेवाड़ में प्रथम बार संविधान लागू कर शासन प्रारम्भ किया।

भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के साथ मास्टर बलवन्त सिंह जी मेहता

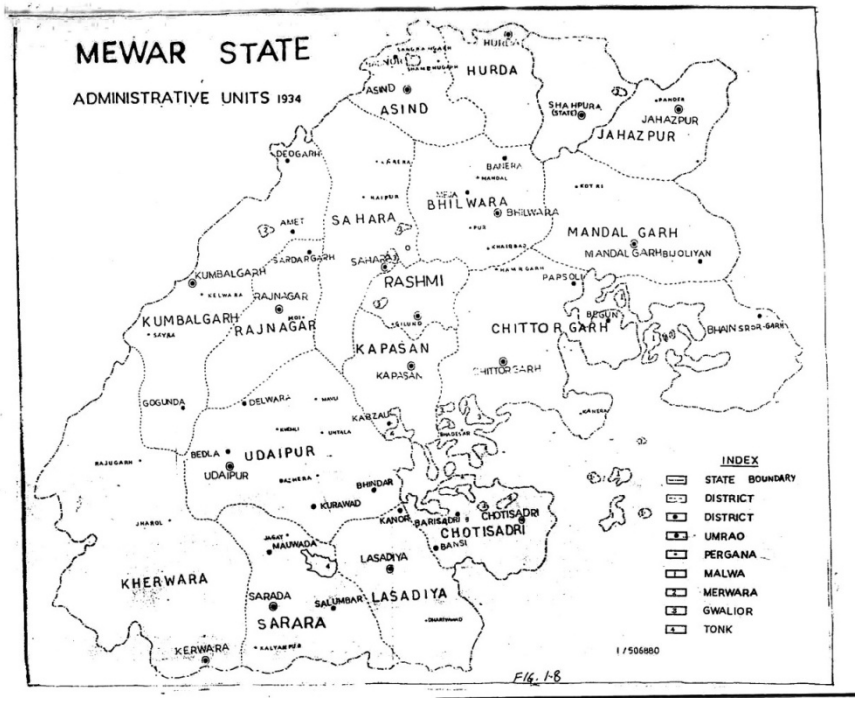

महाराणा भूपालसिंह द्वारा उदयपुर रियासत के प्रथम संविधान एवं उसके साथ ही स्थापित महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर दिये गए भाषण जो कि भारत की स्वाधीनता और आधुनिक भारत के संविधान के निर्माण के पूर्व भारत की 564 रियासतों को एकीकृत भारत में सम्मिलित करने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए गए देश की आजादी के लिए प्रयास से प्रभावित होकर मेवाड़ राज्य को अखण्ड भारत में इसलिए सम्मिलित करना चाहा कि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने महाराणा प्रताप के स्वाधीनता के लिए किए गए संघर्ष की सफलता के संदर्भ में दिया गया। उक्त भाषण का अंश निम्नानुसार है –

हम आज प्रताप की 407वीं जयन्ती 5 जून 1947 के इस शुभ अवसर पर हिन्दूआ सूर्य वंशज महाराणा प्रताप के शाश्वत गौरव की स्मृति में प्रताप विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके शौर्य पूर्ण कार्यों से भारत का इतिहास प्रेरणास्पद रहा है।

हम समस्त राजपूत कुल के शासक परस्पर एक ही वंश से गूथें हुए हैं, जो इस देश के निवासियों की परम्पराओं भाषा संस्थाओं की एकरूपता का परिणाम है। आधुनिक काल में भारत ने अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, जिसमें हमें सफलताएं मिली परन्तु ज्वलंत समस्या इस वक्त यह है कि देश की अखण्डता एवं राष्ट्रीय एकता को कैसे संरक्षित व सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं देश के समस्त राजकुल परिवारों, सामन्तों एवं शासन से जुड़े लोगों से अपील करता हूँ कि दिल्ली में एक मजबूत व स्थायी केन्द्रीय सरकार बनी रहे, अभी तक जिन राजा, नवाबों ने भारत संघ में मिलने की अभी तक

स्वीकृति नहीं दी है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे भारत संघ के लिए बनायी गयी विधायिका में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्षरत्त जननायकों को सम्बल देंवे। यदि भारत जीवित व अस्तित्व में रहता है तो ही हमारा अस्तित्व रहेगा। हम संगठित रहते हैं तो मजबूत राष्ट्र बना सकेंगे। यदि पृथक–पृथक रहेंगे तो हमारा अस्तित्व संकट में होगा। यदि भारत विश्व शक्ति के रूप में अस्तित्व में जीता रहता है, तो हम सभी जीवित रहेंगे। यदि भारत असफल रहता तो हमारी मृत्यु निश्चित है।

मेवाड़ के क्षत्रिय राजपूत कुलीन असंख्य नर–नारियों तथा अन्य जातियों के लोगों ने राष्ट्र की अस्मिता, गौरव, गरिमा के लिए त्याग बलिदान दिया है जिसका इतिहास सदैव हमें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। अतः हमने मेवाड़ की जनता को शासन में विधिक स्वतन्त्रता देने हेतु संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कानून का राज्य स्थापित करने के लिए इस संविधान को लागू किया है। मेवाड़ का यह नया संविधान उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों अनुसार बनाया व लागू कर दिया है। जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के तीनों ही अंग स्वतन्त्र रहेंगे। इनमें शक्ति संतुलन बनाये रखने के प्रजातांत्रिक अंकुश का प्रावधान रखा गया है।

950 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के कार्यकाल में वाणिज्य, उद्योग, खान एवं भूविज्ञान विभाग के मंत्री के रूप में उस वक्त के राज प्रमुख महाराजा मानसिंह द्वारा बलवन्त सिंह मेहता शपथ ग्रहण करते हुए। उस वक्त केवल 9 मंत्री थे जिनमें केवल एक उपमंत्री अमृतलाल यादव थे।

सन् 1950 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के कार्यकाल में वाणिज्य, उद्योग, खान एवं भूविज्ञान विभाग के मंत्री के रूप में उस वक्त के राज प्रमुख महाराजा मानसिंह द्वारा बलवन्त सिंह मेहता शपथ ग्रहण करते हुए। उस वक्त केवल 9 मंत्री थे जिनमें केवल एक उपमंत्री अमृतलाल यादव थे

महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह[37] जी ने भारत की देशी रियासतों के भारत संघ में विलीनीकरण के अवसर पर महाराणा प्रताप के स्वाधीनता एवं अखण्ड भारत के स्वप्न पूरा होते देखकर उन्होंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी एवं पं. जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान को समर्थन दिया। इसका अनुकरण देश की अन्य रियासतों के शासकों ने भी किया। इस दृष्टि से महाराणा भूपाल सिंह भारत के इटली के एकीकरण के महान नायक मैजिनी, गेरी बाल्डी और राजा विक्टर इमेन्यूअल की भांति इतिहास में याद किए जाऐंगे। इस बाबत् महाराणा भूपाल सिंह जी ने भारतीय संविधान के निर्माण एवं 26 जनवरी 1950 के लागू होने के 4 वर्ष पूर्व 23 मई 1947 को मेवाड़ रियासत में उस

वक्त प्रथम संविधान बनवाकर उसे 5–6 जून 1947 को लागू किया था। इसे राजकीय गजट में भी प्रकाशित किया।

वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण 30 मार्च 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 तक एकीकरण की प्रक्रिया में था। इस वक्त तत्कालीन महाराणा श्री भूपाल सिंह जी ने मेवाड़ में संवैधानिक व्यवस्था को लागू कर प्रथम बार मेवाड़ राज्य का संविधान महाराणा प्रताप की 407वीं जयन्ती के अवसर पर लागू किया, जो 26 जनवरी 1956 तक यथावत रहा। (स्मरण रहे कि मेवाड़ राज्य की इस घोषित संविधान के अवसर पर इस संविधान में उल्लेखित स्वतन्त्रता के पूजारी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के सूर्यवंशीय कुलीन परम्परा के निर्वाहण की मेवाड़ के इतिहास के त्याग, गौरव, गरीमा और सनातन धर्म संस्कृति विषयक मूल्यों के संरक्षण में सदियों पूर्व यहां की जनता और सामन्तों तथा राज परिवार के महान बलिदान को चिर स्थाई रखने के प्रतीक प्रताप के स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संस्कृति, सांस्कृति अखण्डता की स्मृति में तथा प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना कर इसकी घोषणा की)

मेवाड़ में महाराणा भूपालसिंह द्वारा घोषित प्रथम संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और इसकी विशेषताओं पर प्रभाव ड़ाला। जो इस प्रकार है –

मेवाड़ के संविधान की विशेषता[38] –

खण्ड प्रथम, अनुच्छेद 1 – उक्त संविधान में विधि विषयक संवैधानिक प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 2 – परमेश्वर श्री एकलिंगजी को सार्वभौमिक राजा मानकर उनको समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई। (जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति

व संसद को) मेवाड़ के महाराणा को दीवान/श्रीजी से सम्बोधित किया। (जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री को)

अनुच्छेद 3 – इस अनुच्छेद में श्रीजी की शक्तियों का विस्तार से उल्लेख्य है।

अनुच्छेद 4 – मेवाड़ के संविधान में तथा विश्वविद्यालय की स्थापना उसके लिए वित्तीय प्रबन्धन उससे सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षा के उद्देश्यों, प्रबन्धक और उसके संवैधानिक ढाँचे का उल्लेख हुआ है। (स्मरण रहे कि देश में प्रथम बार मेवाड़ के संविधान में आर्य धर्म और संस्कृति को शिक्षा प्रणाली का मूल आधार माना गया है।) प्रताप विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा गया तथा लिपि देवनागरी को चुना। अंग्रेजी भाषा को द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया गया। श्रीजी को प्रताप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की शक्तियाँ दी गई, जो प्रो – चांसलर और दो अन्य वाईस चांसलर की नियुक्ति की शक्तियाँ रखता है। प्रताप विश्वविद्यालय का संचालन एक समिति द्वारा होगा। जिनमें श्रीजी (कुलाधिपति) कुलपति एवं उनके द्वारा दो अन्य नामित शिक्षाविदों सहित सदस्य होंगे, इसमें से परिषद के सदस्यों के लिए प्रावधान था कि वे 2.00 लाख वार्षिक अनुदान इस विश्वविद्यालय को देंगे।

अनुच्छेद 5 – इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संस्थाओं की सूची दी गई। माफीदार वर्ग (ब्राह्मण, वैरागी, साधु, धार्मिक एवं देवभूमि पर आश्रित) के बच्चों की शिक्षा, भोजन व आवास निःशुल्क रहेगा। (स्मरण रहे कि मेवाड़ ने अपने पूर्वजों की धर्म, संस्कृति व सनातन परम्परा के निर्वाहन के तहत गरीबों, अनाथों व पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास व भोजन की जो कल्पना की गई है जो आज की हमारी नवीन शिक्षा नीति

का आधार रहा है) मेवाड़ के संविधान के अनुच्छेद 5 में यह भी दर्शाया गया है कि जब भी शिक्षण संस्थाओं के खर्च की आवश्यकता पड़े तो चित्तौड़ के आस–पास 1000 एकड़ भूमि को विश्वविद्यालय के अनुदान के लिए दी जाए, और आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से सम्बल होने के उपरान्त इस प्रताप विश्वविद्यालय को भारत के गौरव चित्तौड़ में स्थानान्तरित किया जाए। विश्वविद्यालय के देय धन, अनुदान इत्यादि पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 5 में धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुदान से सम्बन्धित एक ट्रस्ट गठन की व्यवस्था है जो मेवाड़ की भू–सम्पदा, धनराशि विश्वविद्यालय के लिए देय है ट्रस्ट इसका प्रबन्धन करेगी।

अनुच्छेद 6 – में चित्तौड़ के प्रबन्धन का उल्लेख हुआ है।

संविधान के खण्ड 3, अनुच्छेद 7 – शासन प्रबन्धन के लिए मंत्री मण्डलीय और उसके पदाधिकारियों की वेतन भत्ते का प्रावधान रखा है।

अनुच्छेद 8 – इस संविधान में विधायिका का गठन और उसकी शक्तियों का वर्णन है।

अनुच्छेद 9 – विधान परिषद के गठन की व्यवस्था है।

अनुच्छेद 10 – विधायिका को भंग करने की शक्तियाँ दी गई है।

अनुच्छेद 11, 12 – राजस्व व उसके प्रबन्धन का लेखा–जोखा रखने की व्यवस्था है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 4 अनुच्छेद 13 – में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 5 व अनुच्छेद 14 – में मेवाड़ में सुरक्षा, पुलिस प्रबन्धन, सैन्य परम्परा, कानून की पालना का विवरण है।

अनुच्छेद 15 – विदेश नीति।

अनुच्छेद 16 – नियोजन एवं विकास।

अनुच्छेद 17 – आपातकालीन दशाओं का उल्लेख है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 6 अनुच्छेद 18 – मेवाड़ में न्यायिक शक्तियों का विस्तार से उल्लेख हुआ है। न्याय की दृष्टि से इस संविधान में उल्लेख है कि **उदयपुर नगर में राज्य की हाईकोर्ट** होंगी। उदयपुर में स्थापित हाईकोर्ट में किन्हीं दो अथवा अधिक उमरावों के झगड़ों का निपटारा किया जाएगा। राज्य और उमरावों के झगड़ों का निपटारा भी हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 2 के अनुच्छेद 2, 3, 4 से सम्बन्धित प्रक्रिया और विवादों का फैसला भी हाईकोर्ट में होगा। इसी प्रकार हाईकोर्ट को बंदी प्रतिक्षण याचिका और MANDAMUS, CERTEORARI QUO-WARRANTO, निषेधाज्ञा की प्रक्रिया का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार उदयपुर में स्थित हाईकोर्ट में विधान परिषद से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण होगा। इसी प्रकार सभी मामलों में हाईकोर्ट (अपीलांट) की शक्तियाँ होंगी (वैधानिक, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्बन्धित) इसमें न्याय प्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ एवं वेतन भत्ते का स्पष्ट उल्लेख है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति श्रीजी द्वारा होंगी जो कि न्यायिक कमीशन के सदस्यों की सिफारिश की अनुशंसा के आधार पर होगी।

मेवाड़ हाईकोर्ट समस्त न्यायपालिकाओं के सर्वोच्च शक्तियों के ऊपर होगी।

अनुच्छेद 19 – में हाईकोर्ट में अन्तिम अपील का प्रावधान है।

अनुच्छेद 20 – में एडवोकेट जनरल की शक्तियाँ दी गई है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 7 अनुच्छेद 21 – प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के चयन, वेतन भत्ते, शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। साथ ही **अनुच्छेद 22** – में पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 8 अनुच्छेद 23 – संवैधानिक शब्दावली यथा गवर्नमेण्ट ऑफ मेवाड़ एक्ट, हाईकोर्ट, लैण्ड हॉल्डर्स, लेजिसलेटिव अस्मेबली, एडल्ड, श्रीजी, श्री बावजी राज (बालिग) आदि वैधानिक धारणाओं का अर्थ की व्याख्या है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 9 अनुच्छेद 24 – मेवाड़ सरकार का उल्लेख है।

मेवाड़ संविधान के खण्ड 10 अनुच्छेद 25 – संविधान में संशोधन का प्रावधान है।

मेवाड़ के संविधान के धारा 5 भाग 2 सेक्शन 7 अनुच्छेद 4 में जिसका उल्लेख हुआ है[39] वह निम्न है –

1) चार्ट 1 – महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संस्थाओं की सूची दी गई है – आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक रसायनशाला, अस्पताल, मेवाड़ राज्य का पुरातात्त्विक विभाग, सरस्वती पुस्तकालय एवं संग्रहालय, संस्कृत महाविद्यालय, महाराणा भूपाल कला, विज्ञान व विधि महाविद्यालय जिन सभी

संस्थाओं को **महाराणा भूपाल के नाम से संबोधित किया जाएगा।** उपरोक्त सभी संस्थाओं और शिक्षाओं से सम्बन्धित संस्थाओं को प्रताप विश्वविद्यालय में समायोजित किया जाए तथा उसके समस्त स्टाफ, सम्पदा, नियुक्ति के नियम, वेतन भत्ते जिसके लिए मेवाड़ राज्य उत्तरदायी होंगे।

2) प्रताप विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों एवं उसके वित्तीय स्त्रोतों का उल्लेख हुआ है। जो प्रोपर्टी इसमें उल्लेखित है वह उस वक्त देय अनुदान 37 लाख 45 हजार नकद और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्तियाँ इसके अंग होंगी।

3) चित्तौड़ एवं उसके आस–पास की भूमि सम्पदा का वर्णन है।

4) इसमें ब्राह्मण वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास व भोजन का प्रावधान किया गया है।

5) विश्वविद्यालय को देय अनुदान का उल्लेख है जो आयकर से मुक्त होगा।

6) महाराणा/श्रीजी भूपाल सिंह जी द्वारा दिया गया अनुदान 1.50 लाख, महाराणी का अनुदान 1.00 लाख, सरस्वती भण्डार का अनुदान 50 हजार कुल तीन लाख उस वक्त घोषित किया गया। 20.00 लाख प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रताप विश्वविद्यालय को दिया जाएगा।

7) प्रताप स्मारक ग्रंथमाला के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से आगामी तीन वर्ष के खर्च हेतु प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षाविद् श्री के. एम. मुंशी द्वारा फण्ड देने की घोषणा हुई जो उस समय

वे भारतीय विद्या भवन बम्बई के अध्यक्ष थे, उनकी संचित सम्पदा को प्रताप विश्वविद्यालय के खाते में जमा करने की घोषणा की।

7.15 शिवरती घराना –

मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी (द्वितीय)[40] के चार पुत्र हुए जिसमें महाराणा जगत सिंह जी जो मेवाड़ महाराणा बने। द्वितीय महाराज नाथसिंह जी को बागौर ठिकाना दिया गया। तीसरे महाराज बाघ सिंह जी को करजाली और चौथे पुत्र महाराज अर्जुन सिंह जी को शिवरती ठिकाना दिया गया। उन्हीं के वंशधर महाराज दलसिंह जी के बड़े पुत्र महाराज गजसिंह जी और दूसरे पुत्र महाराज सूरतसिंह जी को करजाली गोद पधारे और तीसरे पुत्र महाराणा फतहसिंह जी जो मेवाड़ के महाराणा बने।

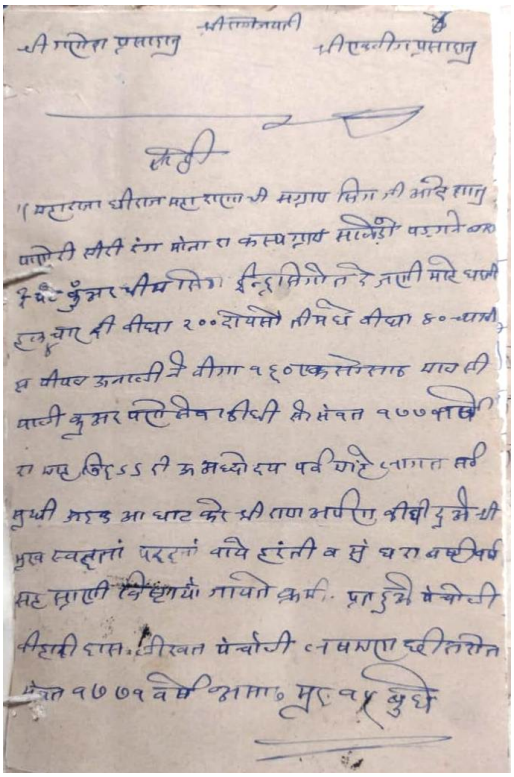

ताम्र पत्र की प्रति शिवरती घराने के कुल पुरूष महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा पाणेरी श्री रंगा मोता को सालेड़ा ग्राम, परगना बाठेड़ा के

कुंवर भीमसिंह इन्द्रसिंगोत के ठिकाने से हल चार (200 बीघा) भूमिदान उदक आघात कर दी (वि.सं. 1771 वर्ष आषाढ़ सुदी 15 बुधवार) हस्ताक्षर प्रधान पंचोली बिहारीदास ताम्रपत्र लेखक पंचोली लक्ष्मण छितरोत

मेवाड़ राज दरबार में महाराणा के भाई पुत्रों कि विशेष भूमिका रही है। इस संदर्भ में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महाराणा फतह सिंह जी (1884–1930 ई) के शासन काल से शिवरती ठिकाने का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस ठिकाने की भूमिका महाराणा भूपाल सिंह जी (1930–1955 ई.) के राज्य काल तक बनी रही। महाराणा फतह सिंह जी के शासन काल में महाराज गज सिंह जी का उत्तराधिकारी उनके छोटे भाई महाराज सूरत सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज हिम्मत सिंह जी हुए। महाराज हिम्मत सिंह जी के चार पुत्र – महाराज शिवदान सिंह जी, महाराज प्रताप सिंह जी, महाराज हमेर सिंह जी, मेजर महाराज उदय सिंह जी हुए।

महाराज शिवदान सिंह जी शिवरती –

शिवरती घराने के वंशधर महाराज शिवदान सिंह जी जो टोंक नवाब के दो हिन्दु जागीरदारों (सामन्त) में से एक थे।[41] आप स्वतन्त्र भारत के राजस्थान राज्य के नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के स्वतन्त्र पार्टी के पहले निर्दलीय विधायक रहे। वर्तमान में उन्हीं के वंशधर मेजर महाराज राघवराज सिंह शिवरती हैं।

महाराज प्रताप सिंह जी शिवरती –

शिवरती घराने के वंशधर महाराज प्रताप सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवत सिंह जी मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह जी के गोद पधारे और मेवाड़ के महाराणा बने।

मेजर महाराजा उदयसिंह जी शिवरती –

महाराणा भूपाल सिंह जी के राज्य काल में मेजर महाराज उदय सिंह जी[42] का मेवाड़ राज दरबार में अहम भूमिका रही। 22 अप्रैल 1939 को महाराज कुमार भगवत सिंहजी की बीकानेर राजघराने की पुत्री से सगाई का दस्तूर प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में महाराणा ने शिवरती ठिकाने के भाई – पुत्रों को भी उच्च सम्मान प्रदान करते हुए महाराज शिवदान सिंह जी, महाराज प्रताप सिंह जी, महाराज हमेर सिंह जी तथा मेजर महाराज उदय सिंह जी को राज दरबार में बैठक प्रदान करते हुए सिरोपाव स्वीकृत किए। राज दरबार की बड़ी ओल में बत्तिसों सरदार अंतर्गत महाराणा भूपाल सिंह जी ने निम्न प्रकार बैठकें प्रदान कर इनका सम्मान बढ़ाया।

1) महाराज प्रताप सिंह जी को थाणा नीचे (बाद)

2) महाराज हमेर सिंह जी को भगवानपुरा नीचे (बाद) अठाणा की बैठक

3) मेजर महाराज उदय सिंह जी को महाराज हमेर सिंह जी नीचे (बाद) संग्रामगढ़ की बैठक।

महाराणा ने तीनों भ्राताओं को दरीखाने का बीड़ा सम्मान भी प्रदान किया। मेजर महाराज उदय सिंह जी शिवरती एक मृदुभाषी, सरल, सादगी व सद्भावी सैनिक अधिकारी थे। वे अपनी योग्यता के बल पर मेजर पद तक पदौन्नत हुए। महाराज उदय सिंह जी का जन्म 1914 ई. उदयपुर में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर में होने के पश्चात् उन्हें उच्च शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज, अजमेर भेजा गया। 25 वर्ष कि आयु में आपने मेवाड़ स्टेट फोर्सेज में कमीशंड अधिकारी (लेफ्टिनेंट) के रूप में सेवा प्रारंभ की। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपकी नियुक्ति अफगानिस्तान बॉर्डर के दरार – चिनार ओर दरार खेबर व दक्षिणी अफ्रीका में रही। इसी दौरान आपके साथ मेजर बिजयनाथ पुरोहित, हनुमंत सिंह जी घोड़च एवं मेजर रघुनाथ सिंह जी चावड़ा आदि थे। रेजिडेंट मेवाड़ ने महाराणा भूपाल सिंह जी से पूछा कि मेवाड़ जनरल की सलामी किसे दी जाए तो महाराणा के कहने से महाराज उदय सिंह जी शिवरती को **''रॉयल जनरल ऑफ मेवाड़''** की सलामी दी गई।[43]

1948 ई. में मेवाड़ स्टेट के विलीनीकरण वृहद राजस्थान की रियासतों की सेनाओं का भी एकीकरण होकर इसका मुख्यालय जयपुर किया गया। महाराज कैप्टन उदय सिंह जी ''सज्जन इंफेंट्री'' में थे, इनका ट्रांसफर उदयपुर से ''ब्रजराज इंफेंट्री'' कोटा में हो गया। कैप्टन महाराज उदय सिंह जी को बूंदी स्टेट का कमांडर नियुक्त किया गया। सैन्य अनुशासन के संदर्भ में मेजर उदयसिंह ने मेवाड़ का नाम रोशन किया। कोटा के बाद महाराज उदय सिंह जी का स्थानांतरण बीकानेर स्टेट में हुआ, सूरतगढ़ जहां मेजर पद पर कार्यरत रहकर आप सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1962 में 48 वर्ष की अल्पायु में ही आप परमेश्वर महाराज

एकलिंगनाथजी की सेवा में लीन हो गए। आपके पुत्रों में महाराज यागवेंद्र सिंहजी ,महाराज शत्रुदमन सिंह जी एवं मधुसूदन सिंह जी रहे है।

अक्सर इतिहास में एक चुप्पी देखने को मिलती है कि आजादी के पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड़ राजपरिवार के योगदान को इतिहास में न्यून संज्ञा दी जाती रही है। इन खोई हुई कड़ियों को जोड़ने का कार्य मेवाड़ महाराणा के भाई मेजर महाराज उदय सिंह जी शिवरती के माध्यम से किया गया। महाराज उदय सिंह जी ने मेवाड़ तथा महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्ता योगदान दिया।

7.16 मेवाड़ के अंतिम महाराणा भगवत सिंह जी –

मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से शिवरती परिवार के महाराज प्रताप सिंह जी के बड़े पुत्र भगवत सिंह जी को गोद लिया गया। महाराणा भूपाल सिंह के मरणोपरान्त मेवाड़ के अंतिम महाराणा भगवत सिंह जी को बनाया गया। उदयपुर को विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने का श्रेय भगवत सिंह जी को जाता है सर्वप्रथम भगवत सिंह जी ने पीछोला में स्थित एक महल जग निवास पैलेस था जो सफेद पत्थरों से निर्मित है को होटल में परिवर्तित किया। जो कालान्तर में लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है और आपकी ही वजह से पूरे विश्व के पर्यटक उदयपुर को निहारते हैं।

भगवत सिंह जी को राजस्थान क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने का श्रेय आप ही को जाता है। आप ही के नेतृत्व में राजपूताना क्रिकेट संघ का गठन हुआ जो आगे चल कर राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के नाम से जाना गया, जिसके पहले अध्यक्ष भगवत सिंह जी स्वयं थे। क्रिकेट जगत की सबसे

प्रसिद्ध प्रतियोगिता ''रणजी ट्रॉफी'' में आपके नेतृत्व में राजस्थान 1960 से लेकर 1966 तक लगातार उपविजेता रहा। राजस्थान से हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी रूसी सुरति, विजय मांजरेकर, सलीम दुर्रानी, विनु मांकड, हनुमन्त सिंह बांसवाड़ा, के. एम. रूंगटा, सूर्यवीर सिंह बांसवाड़ा, अर्जुन नायडु, राजसिंह डूंगरपुर, सौपान देसाई, बसन्त रंजने, एस. पी. गुप्ते आदि खेलते थे।

भगवत सिंह जी मेवाड़ विश्व हिन्दू परिषद् के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही संगीत व इतिहास को पूरे विश्व में बढ़ाने का श्रेय आपको ही जाता है।

7.17 संत तुल्य दिव्यपुरुष राजर्षि महाराज श्री शत्रुदमन सिंह शिवरती –

''प्रारंभ ही ईश्वर है, और अंत भी ईश्वर है'' – शत्रुदमन सिंह

''ईश्वर ही अन्तिम सत्य है'' – शत्रुदमन सिंह

श्रीमद् भगवद् गीता के अनुसार योगियों की यात्रा उस समय तक जन्म जन्मांतर तक चलती है, जब तक कि वह परंपरा में न समा जाए। जन्म की आवाजाही का छुटकारा इसी प्रकार संभव है। वह आत्मा विलीन किसी **''श्रीमंता गेहे''** श्री संपन्न परिवारों में जन्म लेकर अपने साधनाक्रम को निरंतरता देता रहता है। इसी संदर्भ में मेवाड़ राजवंश के शिवरती राजघराने के महाराज श्री शत्रु दमन सिंह जी को एक दिव्य पुरुष के रूप में देखा जाता है।

आपश्री का जन्म उस मेवाड़ के राजवंश में हुआ, जिसने माटी की रक्षार्थ अपने शरीर तक को सदियों तक अनवरत न्यौछावर कर दिया। इस

वंश का पिछले चौदह सौ वर्षों का इतिहास यही स्पष्ट करता है। ऋषि हारीत के दिशा निर्देशों में पला – बढ़ा यह राजवंश बप्पा रावल, हम्मीर, कुंभा, महाराणा प्रताप सिंह, राजसिंह जैसे कीर्ति पुरुषों की श्रृंखला से सुशोभित है। इसी क्षत्रिय वंश में कई सिद्धों, संतों एवं शास्त्रीय वचनों को अपने जीवन में उतारने वाले अध्यात्ममार्गियों का भी आविर्भाव हुआ। संत शिरोमणि मीरा बाई, लोकसंत महाराज चतुर सिंह जी बावजी एवं उसी परम्परा का निर्वहन करने वाले महाराज श्री शत्रुदमन सिंह को एक संकेतक के रूप में गिना जा सकता है। ये वे महापुरुष हैं, जिनके चरण भले ही सांसारिक रिश्तों, कर्त्तव्यों के मार्ग पर चलते रहे, किन्तु उनका अंतःकरण सदा शिव हरि या सत्य की खोज में लगा रहा।

सद्ग्रंथ मार्ग संकेत है, आध्यात्मिक जीवन के सोपानों पर आगे बढ़ने का ग्रंथों के सत्य जब मानवीय चरित्र में उतरते हैं, तभी उन ग्रंथों एवं गुफाओं की महिमा फलवती कही जाती है। करजाली एवं शिवरती वंश के लोकसंत महाराज श्री चतुर सिंह जी बावजी के ग्रंथ **''अलख पच्चीसी''** का यह दोहा इसी सत्य को उजागर करता है –

कागद कीड़ी रे जस्यो, वी में वेद पुराण।

वी में अक्खर एक नी, ऊधा अलख पछाण।।

वेद और पुराण का महत्त्व आध्यात्मिक उड़ान में मात्र एक चोटी के समान है, क्योंकि उसमें परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने बल से साधक स्वयं अपने में प्रकट करता है। महाराज श्री शत्रुदमन सिंह जी की आध्यात्मिक ऊँचाई को देख पाना तो केवल सिद्ध संतों से ही संभव है, तथापि जन मानस में उनके जीवन के कुछ प्रतिबिम्ब हैं, जो उनकी

आध्यात्मिक गहराई की ओर संकेत करते हैं। कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं –

- 21 सितम्बर, 1945 से 23 फरवरी, 2021 के बीच इस धरती के पवित्र भाग मेवाड़ की भूमि पर शिवरती घराने में अपनी जीवन यात्रा पूरी करने वाले यह यात्री रिश्ते में स्वर्गीय महाराणा भगवत सिंह जी के काका साहब के पुत्र के पुत्र अर्थात् आपस में भाई थे। आप एकलिंगनाथ जी की भक्ति में इस सीमा तक समर्पित थे कि जब भी मेवाड़ में रहते, प्रति सोमवार एकलिंगनाथ की चौखट पर एक सेवक के रूप में उपस्थिति दिया करते थे। यह यात्रा क्रम आपने आजीवन निभाया। महाराज के रूप में उनको सामान्य जन आदर देता था, किन्तु उनका अंतर्मन तो एकलिंगनाथ के अकिंचन सेवक के रूप में ही रमता रहता था। ठिकाने का नाम भले ही शिवरती है, किन्तु असली शिव में रत रहने वाले शिवरती तो महाराज शत्रुदमन सिंह ही थे। षड़ रिपुओं का दमन कर आपने अंतःस्थल में **''शिव''** को सिंचित किया था, अर्थात् अपने नाम को **शत्रु–दमन** करने वाले सिंह के रूप में सार्थक किया था। राजपरिवार में जन्म लेने के कारण उनके राजसी दायित्त्व निवर्हन में भी जन कल्याण हेतु उनका **''शिव''** जागृत रहा करता था।

- भगवान शिव के प्रति आप अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु हर सोमवार व शिव रात्रि के दिन आप अपने साधना कक्ष से श्री एकलिंगनाथ जी के लगभग 20 किलोमीटर दूर मन्दिर तक पैदल यात्रा किया करते थे। **''शिव''** का रूप और **''शिव''** के नाम का अन्तर्योग अहर्निश चलता रहता था।

- भारत के कई तीर्थों विशेषतः द्वादश ज्योर्तिलिंगों सोमेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, औंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर, विश्वेश्वर, त्रयम्बकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, धुश्मेश्वर महादेव के पवित्र मंदिरों की यात्रा आप दो बार कर चुके थे। नेपाल के पशुपतिनाथ के अतिरिक्त **कैलाश मानसरोवर** तथा **बाबा अमरनाथ** की यात्रा एवं परिक्रमा भी आप दो बार कर चुके थे। यद्यपि आपने गृहस्थाश्रम नहीं छोड़ा तथापि आप व्यक्तिगत जीवन में किसी सन्यासी से कम नहीं थे।

- आपके सुपुत्र डॉ. अजातशत्रु सिंह एक बार साधना कक्ष के समीप से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना कि श्री दाता हुकुम (आपके पिताश्री) किसी से चर्चा कर रहे थे। सहज जिज्ञासावश अजातशत्रु सिंह जी के पांव ठिठक गए। भीतर कौन होगा, इस ऊहापोह में वे कुछ क्षण रूके। पिताश्री की सुनाई दे रही चर्चा किससे हो रही है! जानने का यह विचार जब स्थिर हुआ, तब आपने द्वार खटखटाया। भीतर स्थित महाराज के पदचाप सुनाई दिए। द्वार खुला। पुत्र ने झांक कर देखा कि कक्ष में पिताश्री के अलावा कोई नहीं था। सहज रूप से आपने पूछ लिया। ''दाता हुकम! अभी आप किसी से चर्चा कर रहे थे। वे कौन थे ? ''परमात्मा'' ————————! यह सुनकर पुत्र के पांव जम गये। पुत्र समझ गया कि पिताश्री किसी अन्य स्तर पर अपनी बात कह रहे हैं। अजातशत्रु जी बिना उत्तर दिये पिता जी को प्रणाम कर लौट गए। उस दिन अजातशत्रु जी ने किसी दिव्य संत के कक्ष में फैली सुगंध का अनुभव किया तथा पिताश्री और परमात्मा के बीच के संवादों के बीच व्यवधान डालने का दोष–बोध का भाव लेकर भारी मन से प्रत्यागमन किया।''

- पूज्य शत्रुदमन सिंह जी ने अपने जीवन के बीस वर्ष, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री रामसुखदास जी द्वारा लिखित **''साधक संजीवनी''** – **भगवद् गीता** पर अपनी ओर से टीका लिखी। इस टीका ग्रंथ में गीता का अनुवाद, समीक्षा तथा श्लोकों पर अपनी टिप्पणियां लिखी। यह सम्पूर्ण सृजन 2694 पृष्ठों का है। इस ग्रंथ की 9 पंजीकाएं निर्मित हुई है, जो सुरक्षित हैं। इसको हस्तलिखित करने में महाराज साहब को बीस वर्ष लगे (2001–2021)। इसके अलावा आप द्वारा रामचरित मानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, गायत्री चालीसा, सती चालीसा, शनि चालीसा आदि ग्रंथों को भी हस्तलिखित रचना की।

  सुना जाता है कि यदि गीता के अठारह अध्यायों को कोई लिख ले, तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। महाराज शत्रुदमन सिंह जी के साथ भी यही हुआ। गीता पर लिखी टीका के समापन के बाद ही आपने नशवर शरीर छोड़ दिया। देवलोकगमन के पश्चात पूरे शिवरती व निवासरत तितरड़ी ग्राम की सभी स्कूलें, दुकानें उनके सम्मान में बंद की गई। ग्राम वासियों व राजपरिवार के सदस्य व उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार उनकी कुटिया से लेकर राजपरिवार के लिए निर्धारित आयड़ स्थित महासतियाजी परिसर में राजवंशीय परंपरा के अनुसार किया गया।

- आपश्री ने अभिव्यक्ति की एक प्रतीकात्मक विद्या पर भी पर्याप्त श्रम किया है। वैयक्तिक द्वंद्व, अंतःकरण शुद्धि की दिशा के प्रयत्नों में आने वाली बाधाओं, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं, आपसी कलह और कुंठाओं को कार्टून विधा के माध्यम से उकेरने का

सफल प्रयास किया। आपके समसामयिक विषयों पर आधारित कार्टून देश की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं साहित्यिक प्रतिवेदनों में स्थान बना चुके हैं। **''दमन कार्टूनिस्ट''** के नाम से आप प्रसिद्ध थे।

- आप के इस आध्यात्मिक चिंतन से प्रभावित होकर बिलाड़ा से बाला सतीमाता संत चेन कंवर बाई सा मिलने पधारे। इसके अलावा नेपाल से एक साधु (ईश्वर के रूप में) पंडित सिद्धेश्वर महाराज आप से मिलने पधारे। ऐसे कई उदाहरण हैं जीवन में कि कई साधु–संत–महात्मा, आध्यात्मिक आत्माएं आपसे मिलने पधारे।

आशा है कि यह परिवार उसी परंपरा पर अडिग रहते हुए उपनिषदिक संस्कृति में आध्यात्मिक धर्म, लोक शिक्षा का प्रकाश फैलाते रहेंगे। आप को इन पंक्तियों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं –

समय के दर्पण में कभी धूमिल न होंगी आपकी तस्वीर ।।

एक अद्भुत व्यक्तित्व, जिनकी अनुपस्थिति हमें सदैव खलती रहेंगी।।

उद्यमिता, कर्तव्यपरायणता और मिलान सारिता से परिपूर्ण आपका जीवन दर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।।

पाद टिप्पणियाँ –

1) गौरीशंकर हीरचन्द ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृ. 826–831

2) उपरोक्त, वही, पृ. 827–829

3) उदयपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड, पृ. 829–31

4) उपरोक्त, वही, पृ. 834–35

5) गौरीशंकर हीरचन्द ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृ. 838

6) उपरोक्त, वही, पृ. 840–42

7) फोरिन सीक्रेट, आई, मई 1912, नं. 11–15 रा. अ.

8) (क) फोरिर पोलिटिकल सीक्रेट, आई, अक्टूबर 1857 नं. 506 रा. अ.

(ख) फोरिन पोलिटिकल सीक्रेट आई, अगस्त 1857 नं. 506 रा. अ.

(ग) पद्यमि सीता रमैया – कांग्रेस का इतिहास पृ. 5–12

9) (क) इन्द्रविद्या वाचस्पति–आर्य समाज का इतिहास भाग–1, पृ. 133

(ख) के.एस.सक्सेना – राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण, पृ. 46

10) (क) एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ राजपूताना 1893–94

(ख) के. एस. सक्सेना जन जागरण, पृ. 46

11) (क) एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ राजपूताना स्टेट्स–1894–95 पृ. 4

(ख) कोठारी – जीवन चरित्र, पृ. 65

12) (क) के. ए. सक्सेना – पोलिटिकल मुवमेन्ट, पृ. 119

(ख) मनमथ नाथ गुप्त – भारत में सशस्त्र क्रान्ति का रोमांचकारी इतिहास, पृ. 21–22

13) (क) होम पोलिटिकल डिपोजिट अक्टूबर 1909 नं. 16 रा. अ.

(ख) के. एस. सक्सेना जन जागरण पृ. 52

14) (क) फोरिन पोलिटिकल इन्टरनल बी, जुलाई 1916 नं. 136–137 रा. अ.

(ख) सक्सेना – विजयसिंह पथिक, पृ. 97

15) रामनारायण चौधरी – आधुनिक राजस्थान का उत्थान, पृ. 22–23

16) सक्सेना – विजयसिंह पथिक, पृ. 97

17) हरिप्रसाद अग्रवाल – आजादी के दीवाने, पृ. 7

18) (क) सेडिशन कमेटी रिपोर्ट, पृ. 143, रा.रा.अ. बीकानेर

(ख) हरिप्रसाद अग्रवाल – राजस्थान आजादी के दीवाने, पृ. 34–35

19) हरिप्रसाद अग्रवाल – राजस्थान आजादी के दीवाने, पृ. 34–35

20) पृथ्वीसिंह महता – हमारा राजस्थान, पृ. 313

21) (क) ''दि प्रताप कानपुर'' दिनांक 22–3–1920 फाईल नं. 13 रा.रा. अ. बीकानेर

(ख) हरिप्रसाद अग्रवाल – राजस्थानी आजादी के दीवाने, पृ. 9

22) लक्ष्मी अग्रवाल, महाराणा फतहसिंह जी और उनका काल (1884–1930 ई.), पृष्ठ 92–104

23) (क) सक्सेना – बिजोलिया आन्दोलन, पृ. 42–43

(ख) हिस्ट्री ऑफ महाराणा फतहसिंह पृ. 107 स.भ.पु. उदयपुर (ह.ल.)

24) (क) फोरिन इन्टरनल, मार्च 1900 नं. 190 – 208 रा. अ.

(ख) एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ राजपूताना स्टेट्स–1899–1900, नं. 119

25) सक्सेना – बिजोलिया आन्दोलन, पृ. 46

26) (क) सक्सेना – विजयसिंह पथिक, पृ. 128

(ख) फोरिन पोलिटिकल सीक्रेट, आई, नं. 596 पी ऑफ 1922–23, रा. अ.

27) फाईल नं. 31/ए 1921–22, मेवाड़ राज्य महकमा खास, रा.रा.अ. बीकानेर

28) (क) फोरिन पोलिटिकल सीक्रेट आई, नं. 956 पी ऑफ 1922–23 रा. अ.

(ख) रामनारायण चौधरी–आधुनिक राजस्थान का उत्थान, पृ. 66–67

29) सक्सेना – बिजोलिया आन्दोलन, पृ. 97

30) फाईल नं. 33/एम.डब्ल्यू.आर. – माणिक्यलाल वर्मा की सेवाएँ, रा. रा. अ. बीकानेर

31) पृथ्वीसिंह महता, हमारा राजस्थान, पृ. 329

32) प्रमोद – बिजोलिया आन्दोलन, पृ. 24

33) महाराज श्री चतुरसिंह जी बावजी (रचयिता), अलख पचीसी, भट्ट, श्याम सुन्दर एवं नौशालिया प्रेरणा (सम्पादक), प्रणव प्रकाशन, फतहपुरा उदयपुर, मकर संक्राति, विक्रम संवत् 2079

34) महाराज श्री चतुरसिंह जी बावजी (रचयिता), मानवमित्र राम चरित्र, प्रकाशक – महाराणा मेवाड़ पब्लिकेशन ट्रस्ट प्रकाशन, जन्म शती वर्ष 1980 ई.

35) महाराज श्री चतुरसिंह जी बावजी (रचयिता), अनुभव प्रकाश, प्रकाशक – महाराणा मेवाड़ पब्लिकेशन ट्रस्ट प्रकाशन, जन्म शती वर्ष 1980 ई.

36) वीरविनोद (दो भाग), ले. कविराजा श्यामलदास (1885 ई.)

37) उदयपुर राज्य का इतिहास (दो भाग), ले. गौरीशंकर हीराचंद ओझा (1928 ई.)

38) टॉड कृत राजपूत जातियों का इतिहास, अनुवादक एवं संपादक – डॉ. देवीलाल पालीवाल (1994 ई.)

39) मेवाड़ का राज्य – प्रबन्ध ले. श्यामस्वरूप कुलश्रेष्ठ (1941 ई.)

40) ओझा, गो. ही., उदयपुर राज्य का इतिहास , भाग–2

41) पुरोहित संग्रह, बैठक की डायरी, 1939 ई., पृष्ठ 28

42) बहिडा, महाराणा भूपाल सिंह जी, पृष्ठ 386

43) निजी जानकारी : शिवरती एवं पुरोहित परिवार

परिशिष्ट :– महाराज शत्रुदमन सिंह हस्तलिखित साधक–संजीवनी के कतिपय पृष्ठ

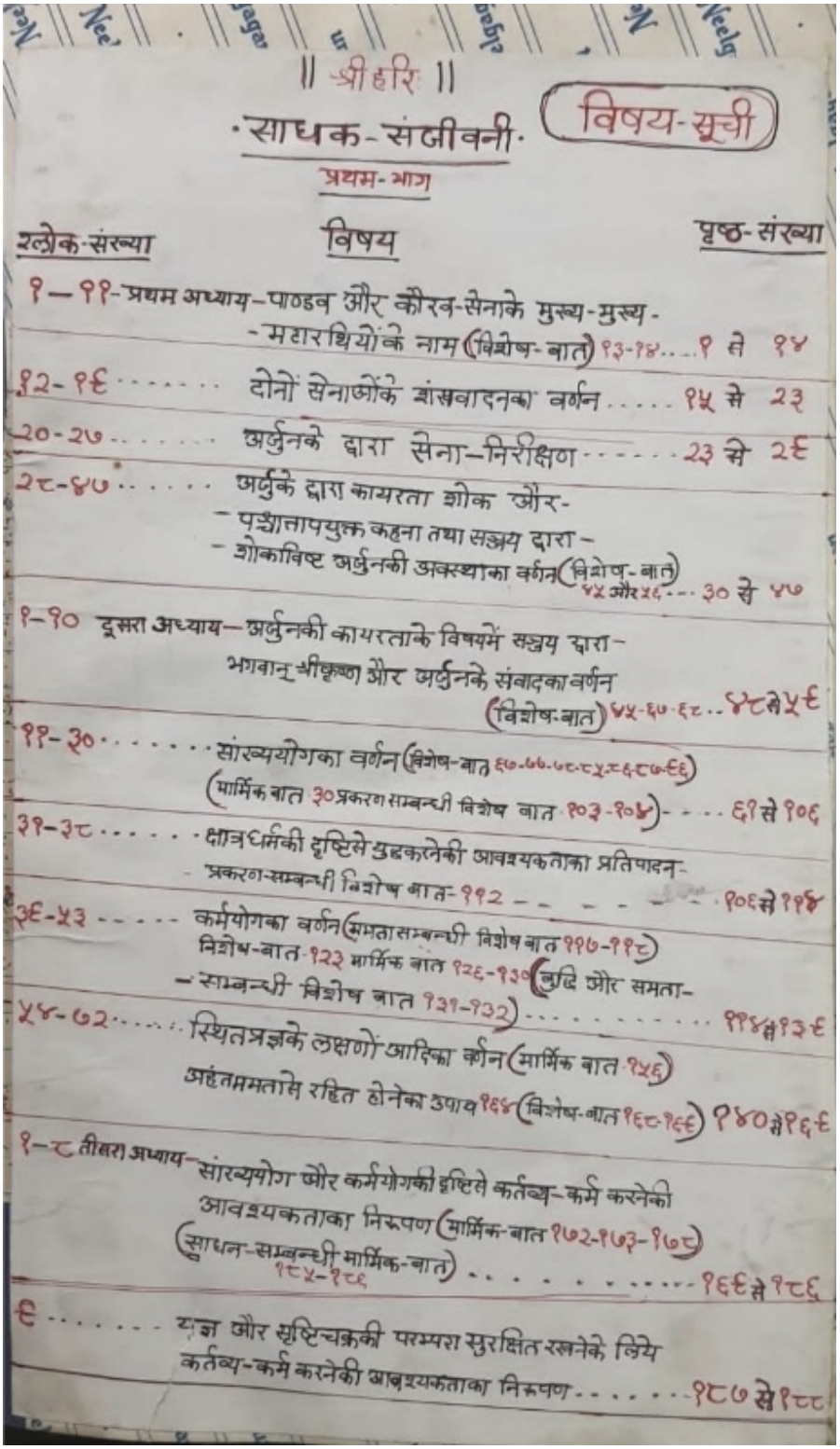

॥ श्रीहरिः ॥

·साधक-संजीवनी·

विषय-सूची

प्रथम-भाग

श्लोक-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१–११	प्रथम अध्याय–पाण्डव और कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य-महारथियोंके नाम (विशेष-बात) १३-१४	१ से १४
१२-१९	दोनों सेनाओंके शंखवादनका वर्णन	१५ से २३
२०-२७	अर्जुनके द्वारा सेना–निरीक्षण	२३ से २९
२८-४७	अर्जुनके द्वारा कायरता शोक और पश्चात्तापयुक्त कहना तथा सञ्जय द्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी अवस्थाका वर्णन (विशेष-बात ४५ और ४६)	३० से ४७
१–१०	दूसरा अध्याय–अर्जुनकी कायरताके विषयमें सञ्जय द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादका वर्णन (विशेष-बात) ५५-६०-६८	४८ से ५९
११-३०	सांख्ययोगका वर्णन (विशेष-बात ६०-७७-७८-८५-८६-८७-९६) (मार्मिक बात ३० प्रकरण सम्बन्धी विशेष बात १०३-१०४)	६१ से १०६
३१-३८	क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धकरनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन-प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात-११२	१०६ से ११४
३९-५३	कर्मयोगका वर्णन (समता सम्बन्धी विशेष बात ११७-११८) विशेष-बात-१२३ मार्मिक बात १२६-१३० (बुद्धि और समता-सम्बन्धी विशेष बात १३१-१३२)	११४ से १३९
५४-७२	स्थितप्रज्ञके लक्षणों आदिका वर्णन (मार्मिक बात १५६) अहंतममतासे रहित होनेका उपाय १६४ (विशेष-बात १६८-१६९)	१४० से १६९
१–८	तीसरा अध्याय–सांख्ययोग और कर्मयोगकी दृष्टिसे कर्तव्य–कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण (मार्मिक-बात १७२-१७३-१७८) (साधन-सम्बन्धी मार्मिक-बात १८५-१८८)	१६९ से १८६
९	यज्ञ और सृष्टिचक्रकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण	१८७ से १८८

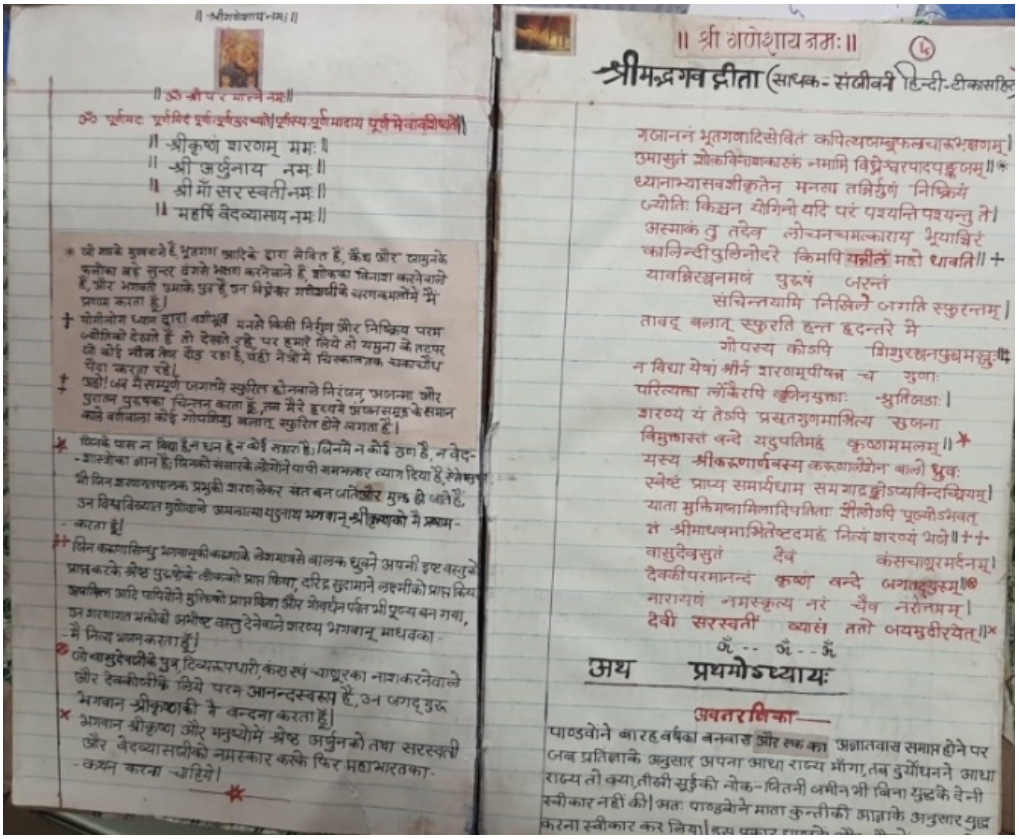

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

॥ श्रीकृष्णं शरणम् ममः ॥
॥ श्री अर्जुनाय नमः ॥
॥ श्री माँ सरस्वतीनमः ॥
॥ महर्षि वेदव्यासाय नमः ॥

* जो गजके मुखवाले हैं, भूतगण आदिके द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुनके फलोंका बड़े सुन्दर ढंगसे भक्षण करनेवाले हैं, शोकका विनाश करनेवाले हैं, और भगवती उमाके पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेशजीके चरणकमलोंमें मैं प्रणाम करता हूँ।

† योगीलोग ध्यान द्वारा वशीभूत मनसे किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योतिको देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिये तो यमुना के तटपर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रोंमें चिरकालतक चकाचौंध पैदा करता रहे।

‡ अहो! जब मैं सम्पूर्ण जगतमें स्फुरित होनेवाले निरंजन, अजन्मा और पुरातन पुरुषका चिन्तन करता हूँ, तब मेरे हृदयमें अंजनसमूहके समान काले वर्णवाला कोई गोपशिशु बलात् स्फुरित होने लगता है।

* जिनके पास न विद्या है न धन है न कोई सहारा है; जिनमें न कोई गुण है, न वेद-शास्त्रोंका ज्ञान है; जिनको संसारके लोगोंने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे भी जिन शरणागतपालक प्रभुकी शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणोंवाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

†† जिन करुणासिन्धु भगवान्‌की करुणाके लेशमात्रसे बालक ध्रुवने अपनी इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषोंके लोकको प्राप्त किया, दरिद्र सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियोंने मुक्तिको प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाले शरण्य भगवान् माधवका मैं नित्य भजन करता हूँ।

❀ जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधारी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये परम आनन्दस्वरूप हैं, उन जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ।

× भगवान श्रीकृष्ण और मनुष्योंमें श्रेष्ठ अर्जुनको तथा सरस्वती और वेदव्यासजीको नमस्कार करके फिर महाभारतका कथन करना चाहिये।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ (5)

श्रीमद्भगवद्गीता (साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित)

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥*
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति॥ †
यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं
संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्।
तावद् बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे
गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः॥ ‡
न विद्या येषां श्रीर्न शरणमपीषन्न च गुणाः
परित्यक्ता लोकैरपि वृजिनयुक्ताः श्रुतिजडाः।
शरण्यं यं तेऽपि प्रसृतगुणमाश्रित्य सुजना
विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्॥ *
यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः
स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्भक्तोऽप्यविन्दच्छ्रियम्।
याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्
तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे॥ ††
वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥ ❀
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ ×

ॐ -- ॐ -- ॐ

अथ प्रथमोऽध्यायः

अवतरणिका—

पाण्डवोंने बारह वर्षका वनवास और एक का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञाके अनुसार अपना आधा राज्य माँगा, तब दुर्योधनने आधा राज्य तो क्या, तीखी सूईकी नोक-जितनी जमीन भी बिना युद्धके देनी स्वीकार नहीं की। अतः पाण्डवोंने माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ...

- श्रीमद्भगवद्गीता -

श्लोक-४१

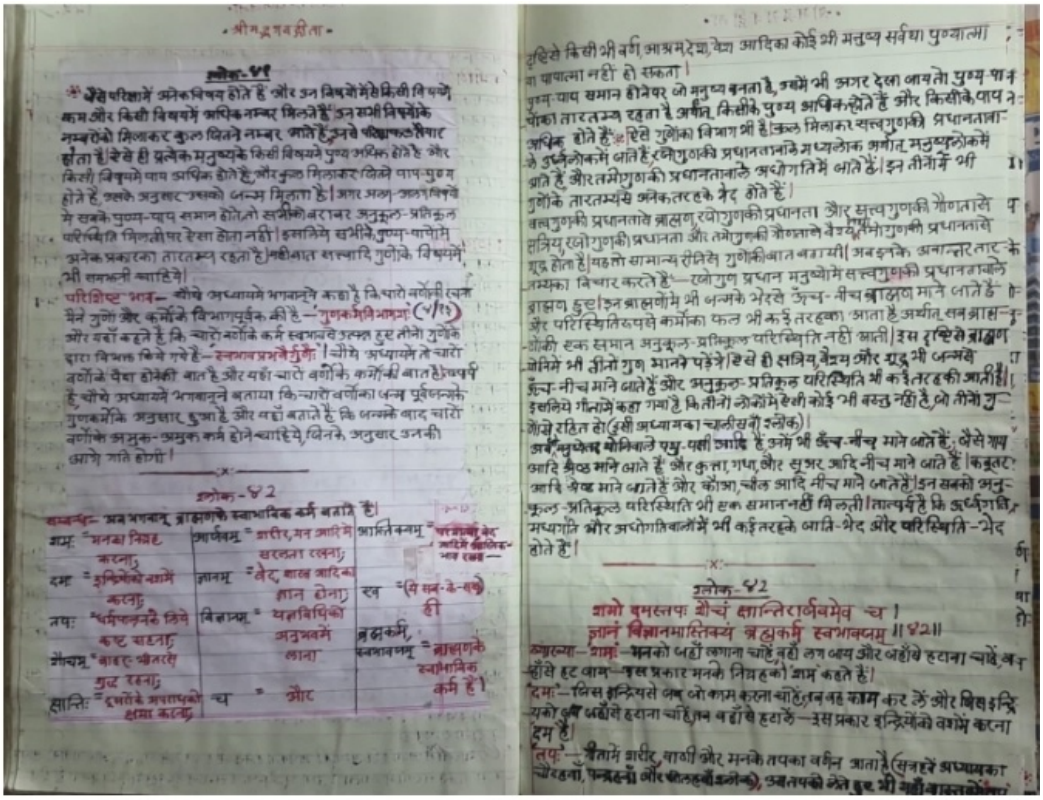

* जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोंमेंसे किसी विषयमें कम और किसी विषयमें अधिक नम्बर मिलते हैं, उन सभी विषयोंके नम्बरोंको मिलाकर कुल जितने नम्बर आते हैं, उससे परीक्षाफल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषयमें पाप अधिक होते हैं और कुल मिलाकर जितने पाप-पुण्य होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग-अलग विषयों में सबके पुण्य-पाप समान होते तो सभीको बराबर अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति मिलती पर ऐसा होता नहीं। इसलिये सभीके पुण्य-पापोंमें अनेक प्रकारका तारतम्य रहता है। यही बात सत्त्वादि गुणोंके विषयमें भी समझनी चाहिये।

परिशिष्ट भाव— चौथे अध्यायमें भगवान्‌ने कहा है कि चारों वर्णोंकी रचना मैंने गुणों और कर्मोंके विभागपूर्वक की है—'गुणकर्मविभागशः' (४/१३) और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके द्वारा विभक्त किये गये हैं—'स्वभावप्रभवैर्गुणैः'। चौथे अध्यायमें तो चारों वर्णोंके पैदा होनेकी बात है और यहाँ चारों वर्णोंके कर्मोंकी बात है। तात्पर्य है, चौथे अध्यायमें भगवान्‌ने बताया कि चारों वर्णोंका जन्म पूर्वजन्मके गुणकर्मोंके अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्मके बाद चारों वर्णोंके अमुक-अमुक कर्म होने चाहिये, जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी।

—×—

श्लोक-४२

सम्बन्ध— अब भगवान् ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं।

शमः = मनका निग्रह करना;	आर्जवम् = शरीर, मन आदिमें सरलता रखना;	आस्तिक्यम् = परमात्मा, वेद आदिमें आस्तिक-भाव रखना—
दमः = इन्द्रियोंको वशमें करना;	ज्ञानम् = वेद, शास्त्र आदिका ज्ञान होना;	एव = (ये सब-के-सब) ही
तपः = धर्मपालनके लिये कष्ट सहना;	विज्ञानम् = यज्ञविधिको अनुभवमें लाना	ब्रह्मकर्म, स्वभावजम् = ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं।
शौचम् = बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना;		
क्षान्तिः = दूसरोंके अपराधको क्षमा करना;	च = और	

दृष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता।

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पापोंका तारतम्य रहता है अर्थात् किसीके पुण्य अधिक होते हैं और किसीके पाप अधिक होते हैं। * ऐसे गुणोंका विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्त्वगुणकी प्रधानतावाले ऊर्ध्वलोकमें जाते हैं, रजोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोकमें आते हैं और तमोगुणकी प्रधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं। इन तीनोंमें भी गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं।

सत्त्वगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता और सत्त्वगुणकी गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणकी प्रधानता और तमोगुणकी गौणतासे वैश्य, तमोगुणकी प्रधानतासे शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीतिसे गुणोंकी बात बतायी। अब इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते हैं—रजोगुण प्रधान मनुष्योंमें सत्त्वगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणोंमें भी जन्मके भेदसे ऊँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिरूपसे कर्मोंका फल भी कई तरहका आता है अर्थात् सब ब्राह्मणोंको एक समान अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्मसे ऊँच-नीच माने जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरहकी आती है। इसलिये गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकोंमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो (इसी अध्यायका चालीसवाँ श्लोक)।

अब मनुष्येतर योनिवाले पशु-पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा और सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालोंमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति-भेद होते हैं।

—×—

श्लोक-४२

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥ ४२॥

व्याख्या— शमः— मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाय और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय—इस प्रकार मनके निग्रहको 'शम' कहते हैं।

दमः— जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको जब जहाँसे हटाना चाहें, तब वहाँसे हटा लें—इस प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करना दम है।

तपः— गीतामें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन आता है (सत्रहवें अध्यायका चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ और सोलहवाँ श्लोक), उस तपको लेते हुए भी यहाँ शास्त्रोंमें ...